

कार्यवृत्त

[संक्षिप्त कार्य-विवरण]

शुक्रवार, 20 माघ, शक संवत् 1945

(09 फरवरी, 2024 ई0)

खण्ड-525

अंक-07

विधान सभा का कार्य सभा-मण्डप, लखनऊ में दिन के 11:00 बजे श्री अध्यक्ष की अध्यक्षता में आरम्भ हुआ। प्रश्न पूछे गये एवं उनके उत्तर दिये गये।

तदुपरान्त उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री चन्द्रेश पासवान के निधन पर श्री अध्यक्ष द्वारा शोकोद्गार व्यक्त किये गये। श्री अध्यक्ष ने कहा कि सदन में व्यक्त की गयी शोक संवेदनाएँ दिवंगत आत्मा के परिजनों तक पहुँचा दी जाएगी।

सभी सदस्य दिवंगत आत्मा की शान्ति के लिए अपने स्थान पर दो मिनट के लिए मौन खड़े हुए।

तत्पश्चात् श्री अध्यक्ष ने कहा कि आज नियम-300 में कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई।

इस पर श्री लालजी वर्मा ने व्यवस्था का प्रश्न उठाते हुए कहा कि अधिकारियों द्वारा मा0 सदस्यगण का फोन रिसीव न किए जाने के सम्बन्ध में एक सदस्य द्वारा नियम-300 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री ने उत्तर दिया था कि शासनादेश जारी कर दिया गया, आगे से इस तरह की घटना नहीं होगी।

इसी मध्य श्री अध्यक्ष ने कहा कि जिस समय सदन में शोक संवेदनाएं चल रही थीं, तो लॉबी से सदस्यों की आवाज सदन के अन्दर तक आ रही थीं, जो उचित नहीं है। सदन के लिए निर्धारित आचरण एवं व्यवहार के नियम लॉबी पर भी लागू होते हैं, क्योंकि लॉबी सदन का अभिन्न अंग है। ध्यान रखा जाना चाहिए कि सदन में किस समय कौन सा विषय चल रहा है, उसी के अनुसार आचरण और व्यवहार होना चाहिए।

तत्पश्चात् श्री लालजी वर्मा ने मा0 सदस्यों के प्रति अधिकारियों के प्रोटोकॉल को लेकर अपने पूर्वोक्त कथन पर बल देते हुए कहा कि अधिकारियों द्वारा मा0 सदस्यों के फोन रिसीव नहीं करने की बातें आ रही हैं। अधिकारीगण कॉल बैक भी नहीं करते हैं। उन्होंने इस पर पीठ से व्यवस्था देने की मांग की।

इस पर श्री अध्यक्ष ने कहा कि माझे मुख्य मंत्री जी द्वारा इस सम्बन्ध में प्रभावी निर्देश पूर्व में दिये जा चुके हैं। बावजूद इसके ऐसी शिकायतें विधान सभा में आती हैं, तो यह गम्भीर विषय है। निर्धारित उत्तरदायित्वों के निर्वहन में व्यस्तता स्वाभाविक है, लेकिन उसके बाद अधिकारियों द्वारा काल बैक करना चाहिए। कभी-कभी अन-आइडॉटिफाइड नम्बर होने कारण कॉल नहीं उठ पाती है, इसके लिए माझे सदस्यगण को एक मैसेज छोड़ देना चाहिए, ताकि अधिकारी यथासंघर्ष उनको कॉल-बैक करें। उसके बाद भी ऐसी कोई बात यदि सदन के संज्ञान में आती है, तो कठिनाई होगी।

इस पर संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि माझे सदस्य की बात का संज्ञान ले लिया गया है और इसको सुनिश्चित किया जाएगा।

संसदीय कार्य मंत्री ने उत्तर प्रदेश लोक आयुक्त तथा उप लोक आयुक्त (संशोधन) विधेयक, 2024 को पुरस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगी, जो प्रदान की गयी।

संसदीय कार्य मंत्री ने उत्तर प्रदेश लोक आयुक्त तथा उप लोक आयुक्त (संशोधन) विधेयक, 2024 को पुरस्थापित किया।

ऊर्जा मंत्री ने उत्तर प्रदेश लिफ्ट और एस्केलेटर विधेयक, 2024 को पुरस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगी, जो प्रदान की गयी।

ऊर्जा मंत्री ने उत्तर प्रदेश लिफ्ट और एस्केलेटर विधेयक, 2024 को पुरस्थापित किया।

आज नियम-56 के अन्तर्गत कुल 12 सूचनाएँ प्राप्त हुईं, जो कार्य-स्थगन के रूप में अग्राह्य हुईं।

जनपद अमेठी के ग्राम-गोगमऊ थाना जामों से दिनोंक 08-02-2024 को रायबरेली पुलिस बताते हुए कुछ लोगों द्वारा अकारण श्री शरद, आशीष आदि को उठाकर ले जाने के घटना की जाँच कराए जाने विषयक अपनी कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचना की ग्राह्यता पर श्री राकेश प्रताप सिंह ने ३०प्र० पुलिस की कार्य-प्रणाली पर सवालिया निशान लगाते हुए कहा कि बीती रात वर्दीधारी पुलिस कर्मियों द्वारा घर से दरवाजा तोड़कर ०३ लड़कों को उठा लेती है, इसका विरोध करने पर उनकी ८० वर्षीय बुजुर्ग मां के साथ अभद्रता की जाती है। उन लड़कों की किसी अपराध में लिप्तता नहीं है। उन्होंने घटना की निंदा करते हुये इन लोगों को छुड़वाने व इसकी जाँच कराने तथा घटना को अविलम्बनीय लोकमहत्व का बताते हुए सदन की शेष कार्यवाही को रोककर इस पर चर्चा कराने की मांग की।

इस पर संसदीय कार्य मंत्री ने शासन का पक्ष रखते हुए कहा कि प्रदेश की पुलिस की कार्य-प्रणाली सम्बन्धी माझे सदस्य की बात का वह खण्डन करते हैं। पुलिस अधीक्षक, रायबरेली के अनुसार रंगदारी मांगने के सम्बन्ध में वादी आनन्द कुमार की लिखित तहरीर पर दर्ज मुकदमा अपराध सं०-५२/२०२४ में अज्ञात ०६ लोगों को पंजीकृत किया गया। विवेचना के दौरान वादी द्वारा दी गयी जानकारी एवं संकलित साक्ष्यों के आधार पर उक्त घटना में पंकज

सिंह, नीरज सिंह व अन्य का नाम प्रकाश में आया है। अभियुक्त नीरज सिंह को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजा दिया गया है। अभियुक्त पंकज सिंह के विषय में पूछताछ के लिए उसके सालों को कोतवाली नगर रायबरेली पुलिस द्वारा लाया गया, जिसका अंकन जी0डी0 में रपट नं0-23 पर 10 बजकर 40 मिनट पर है। 80 वर्षीय बुजुर्ग महिला के साथ अभद्रता व कुछ लोगों को नाजायज तरीके से रखने के सम्बन्ध में पुलिस अधीक्षक से बात करके शाम तक बता दिया जाएगा।

इस पर पंकज सिंह को श्री मनोज कुमार पाण्डेय के प्रतिनिधि बताए जाने की बात पर श्री राकेश प्रताप सिंह ने कहा कि सभी जानते हैं कि कोई सदस्य किसी को अपना प्रतिनिधि बनाता है, तो उसकी लिखित सूचना जिला प्रशासन को भेजता है। इस पर श्री मनोज कुमार पाण्डेय ने कहा कि पुलिस अधीक्षक द्वारा इस प्रकार का लिखित कथन विशेषाधिकार की श्रेणी में आता है। उन्होंने इसकी जांच कराने की मांग की।

इस पर श्री अध्यक्ष ने कहा कि मंत्री जी ने आप लोगों की बात का संज्ञान ले लिया है, सदन उठने के पूर्व वह इसका जवाब दे देंगे। तदुपरान्त सूचना अग्राह्य हुई।

प्रदेश में संचालित मुख्य मंत्री सामूहिक विवाह योजना (जनपद-बलिया से बांसडीह में दिनांक 25-01-2024 को आयोजित कार्यक्रम की घटना) में अपात्रों का चयन किये जाने से उत्पन्न स्थिति विषयक अपनी कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचना की ग्राह्यता पर श्री लालजी वर्मा ने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि अपात्रों का चयन करके सरकारी धन का बंदरबांट किया जा रहा है, उन्होंने घटना को अविलम्बनीय एवं लोकमहत्व का बताते हुए दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई करने व सदन की शेष कार्यवाही रोक इस पर चर्चा कराने की मांग की। डा० संग्राम यादव ने इस पर बल दिया।

इस पर समाज कल्याण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) ने शासन का पक्ष रखते हुए कहा कि यह बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है। इसका मूलभाव यह है कि गरीब घर की बेटियों का विवाह भी ससम्मान धूमधाम से हो। प्रत्येक ब्लॉक में ऐसे आयोजन होते रहते हैं, जिसमें स्थानीय प्रतिनिधि, अधिकारी व मीडिया के लोग उपस्थित रहते हैं। बलिया की घटना निश्चित रूप से एक चोरी का प्रयास था, जिसको समय रहते पकड़ा गया। इससे सम्बन्धित झुगतान को तत्काल प्रभाव से रोकते हुए प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी गयी, जिसमें कई गिरफ्तारियां भी हो चुकी हैं। दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, ताकि भविष्य में ऐसी घटना की पुनरावृत्ति न हो।

तदुपरान्त सूचना अग्राह्य हुई।

प्रदेश के किसानों के उत्पीड़न (दिनांक 06-01-2024 व 07-01-2024 को तहसील मवाना जनपद- मेरठ के गांव अलीपुर मोरना की घटना) से उत्पन्न स्थिति विषयक अपनी कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचना की ग्राह्यता पर श्री अतुल प्रधान ने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि

तहसील व थानों में भ्रटाचार के चलते किसानों को इंसाफ नहीं मिल पा रहा है। घटना को इंगित करते हुए उसकी जांच कराकर दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई करने तथा आत्महत्या करने वाले किसान के परिजनों को सरकारी नौकरी व मुआवजा देने की मांग की। श्री मनोज कुमार पारस ने इस पर बल दिया।

इस पर कृषि मंत्री ने शासन का पक्ष रखते हुए कहा कि लिखित शिकायत के आधार पर वन विभाग और राजस्व विभाग की संयुक्त टीम गठित कर भूमि की पैमाइश करायी गयी तथा वन विभाग की जमीन को अवैध कब्जे से मुक्त कराया गया। वन विभाग की भूमि पर अवैध कब्जा करने वाले द्वारा आत्महत्या किया जाना दुखद है। इसमें मुआवजे का प्रश्न नहीं उठता है। तदुपरान्त सूचना अग्राह्य हुई।

इस पर नेता विरोधी दल द्वारा समाजवादी पार्टी के बारे में भू-माफिया को लेकर आरोप लगाए जाने की बात कहने पर श्री अध्यक्ष ने कहा कि जो विषय आया है, मंत्री जी ने उस पर जवाब दिया है।

तदुपरान्त श्री अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि भारत सरकार ने मा० चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न देने की घोषणा की है, यह पूरे सदन के लिए प्रसन्नता का विषय है। पूरा सदन इसके लिए मा० प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता है। नेता विरोधी दल, संसदीय कार्य मंत्री और डा० अजय कुमार ने भी बधाई दी।

तदुपरान्त प्रदेश के समाज कल्याण विभाग में कार्यरत कम्प्यूटर ऑपरेटर्स को समान वेतन दिलाए जाने विषयक श्री प्रसन्न कुमार व अन्य की कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना पर श्री अध्यक्ष ने शासन का ध्यान आकृष्ट किया।

संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि :-

“भारतीय स्टाम्प, (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2024 पर विचार किया जाय।”

श्रीमती आराधना मिश्रा ‘मोना’ ने निम्नलिखित संशोधन प्रस्तुत किया :-

“भारतीय स्टाम्प, (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2024 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करे।”

श्री कमाल अख्तर, डा० आर०के० वर्मा ने इस पर बल दिया।

तदुपरान्त संशोधन का प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ तथा मा० मंत्री द्वारा प्रस्तुत विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खण्डशः विचार आरम्भ हुआ।

खण्ड-2 से खण्ड-3 तक तथा खण्ड-1, प्रस्तावना व शीर्षक इस विधेयक के अंग बने।

संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि :-

“भारतीय स्टाम्प, (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2024 पारित किया जाय।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

तदुपरान्त श्री अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि प्रायः देखने में आया है कि मा० सदस्यों द्वारा नियम-103 के अन्तर्गत दिये गये संकल्पों पर 5-5 साल तक चर्चा नहीं होती है। मा० सदस्यों द्वारा कल इस नियम के अन्तर्गत दी गयी सूचनाओं के सम्बन्ध में श्री अध्यक्ष द्वारा निर्णय लिया गया कि उस पर मा० सदस्यों एवं सरकार के पक्ष को सुनकर परिस्थिति के हिसाब से निर्णय लिया जाएगा।

तदुपरान्त वित्तीय वर्ष 2024-2025 के आय-व्ययक पर साधारण चर्चा श्री शिवपाल सिंह यादव के भाषण से प्रारम्भ हुई।

इनके भाषण के मध्य 02 बजकर 10 मिनट पर अधिष्ठाता श्रीमती कृष्णा पासवान पीठासीन हुईं।

निम्नलिखित सदस्यगण ने भी चर्चा में भाग लिया :-

श्री पीयूष रंजन निषाद,

श्रीमती अनुपमा जायसवाल,

श्रीमती अर्चना पाण्डेय।

श्री गणेश चन्द्र के भाषण के उपरान्त श्री विवेकानन्द पाण्डेय का नाम पुकारे जाने पर समाजवादी पार्टी के सदस्यों ने विरोध प्रकट करते हुए विपक्ष के सदस्य को बोलने का अवसर देने की मांग करने लगे, जिससे गतिरोध उत्पन्न हुआ। तदुपरान्त संसदीय कार्य राज्य मंत्री के अनुरोध पर श्री अधिष्ठाता ने श्री इकबाल महमूद को चर्चा में अपने विचार रखने हेतु कहा।

निम्नलिखित मंत्रिगण/सदस्यगण ने भी चर्चा में भाग लिया :-

श्री इकबाल महमूद,

श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह,

श्री विवेकानन्द पाण्डेय,

श्री रामचन्द्र यादव,

श्री नन्द किशोर,

श्रीमती रेखा वर्मा,

श्री रविदास मेहरोत्रा,

श्रीमती अल्का सिंह ‘अर्कवंशी’,

श्री पुरुषोत्तम खण्डेलवाल।

समाज कल्याण, अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण राज्य मंत्री (श्री संजीव कुमार गोड)

श्री सर्वेश सिंह के भाषण के मध्य 04 बजकर 33 मिनट पर अधिष्ठाता श्री मनीष असीजा पीठासीन हुए।

श्री अंकित भारती के भाषण के मध्य श्री अधिष्ठाता ने कहा कि श्री अध्यक्ष ने मा० सदस्यों को अपनी बात 5 से 6 मिनट में पूरी करने के निर्देश दिये हैं। निर्धारित समय में सदस्यगण अपनी बात रखें।

निम्नलिखित मंत्रिगण/सदस्यगण ने भी चर्चा में भाग लिया :-

श्री जीत लाल पटेल,
श्री महेश चन्द्र गुप्ता,
श्री देवेन्द्र कुमार निम,
श्री महेन्द्र सिंह खड़गवंशी,
श्री माता प्रसाद पाण्डेय,
श्री आनंद कुमार यादव,
श्री रमेश सिंह,
श्री सुशील सिंह,
श्री राम फेरन पाण्डेय,
श्री राधवेन्द्र शर्मा,
श्री अवधेश प्रसाद,
श्री अताउर रहमान,
श्री बेदी,
श्री बृजेश,
श्री अजय सिंह।

आयुष राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री दयाशंकर मिश्र 'दयालू') के भाषण के मध्य 06 बजकर 27 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।

तदुपरान्त संसदीय कार्य मंत्री ने सदन को सूचित किया कि श्री राकेश प्रताप सिंह की आज नियम-56 की सूचना के सम्बन्ध पुनः प्राप्त पुलिस अधीक्षक, रायबरेली की रिपोर्ट संसदीय कार्य मंत्री जी सदन में रखेंगे। इस पर संसदीय कार्य मंत्री ने सूचित किया कि सदन में उठाई गयी घटना में पुलिस अधीक्षक, रायबरेली द्वारा घटना के अभियुक्त को मा० सदस्य विधान श्री मनोज कुमार पाण्डेय का प्रतिनिधि होने की बात का खण्डन करते हुए खेद प्रकट किया गया है।

इस पर श्री मनोज कुमार पाण्डेय ने आपति प्रकट करते हुए कहा कि यह एक सदस्य का नहीं बल्कि पूरी विधायिका का अपमान है। पुलिस अधीक्षक, रायबरेली द्वारा बिना तथ्यों के उनके ऊपर आरोप लगाय गये हैं। इसमें सिर्फ खेद प्रकट करना पर्याप्त नहीं है।

संसदीय कार्य मंत्री द्वारा इस सम्बन्ध में पुलिस अधीक्षक, रायबरेली का पक्ष सुने जाने का अनुरोध किया। जिस पर श्री अध्यक्ष ने कहा कि वे कल पुलिस अधीक्षक, रायबरेली को अपने कार्यालय कक्ष में बुलाकर उनका पक्ष भी सुनेंगे एवं जानकारी करके सदन को अवगत करायेंगे।

तदुपरान्त सूचना अग्राह्य हुई।

तत्पश्चात् श्री अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि आज विधान सभा की कार्य मंत्रणा समिति के दिनांक 09 फरवरी, 2024 की बैठक में निम्नलिखित सिफारिशों की गई-

1-दिनांक 10 फरवरी, 2024 को निम्नलिखित विधेयकों पर विचार एवं पारण करायेंगे जाए-

1-उत्तर प्रदेश लोक आयुक्त तथा उप लोक आयुक्त (संशोधन) विधेयक, 2024

2-उत्तर प्रदेश लिफ्ट और एस्केलेटर विधेयक, 2024

2-दिनांक 10 फरवरी, 2024 को सदन की कार्यवाही पूर्वाहन 11:00 बजे के स्थान पर सुबह 10:00 बजे प्रारंभ की जाएगी अतएव 10 फरवरी, 2024 को पूर्वाहन 9:30 बजे तक नियम-51 और 301 की सूचनाएँ ली जाएंगी। शेष कार्यक्रम यथावत् रहेगा।

संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि यह सदन कार्य-मंत्रणा समिति की सिफारिशों जिसकी सूचना श्री अध्यक्ष द्वारा सदन में दी गयी है, से सहमत है।

प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।

तदुपरान्त श्री अध्यक्ष ने नियम-103 के अन्तर्गत दी गयी अपनी सूचना पर 5 मिनट में अपनी बात रखने के निर्देश दिये।

डा० पल्लवी पटेल ने निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत किया :-

“इस सदन का सुनिश्चित मत है कि जनपद कौशांबी के सिरायू विधान सभा क्षेत्र को औद्योगिक श्रेणी में सम्मिलित कर क्षेत्र का सर्वांगीण विकास कराया जाय।”

संसदीय कार्य राज्य मंत्री के उत्तर भाषण के उपरान्त उक्त संकल्प अस्वीकृत हुआ।

श्री जवाहर लाल राजपूत की अनुपस्थिति में उनके द्वारा प्रस्तुत निम्नलिखित संकल्प विलोपित हुआ :-

“इस सदन का सुनिश्चित मत है कि प्रदेश में मोटे अनाजों को बढ़ावा देने हेतु उनके बीज एवं मोटे अनाज की उपज की बिक्री हेतु बाजार एवं मण्डी सुगमता से उपलब्ध करायी जाय।”

श्री अजय सिंह की अनुपस्थिति में उनके द्वारा प्रस्तुत निम्नलिखित संकल्प विलोपित हुआ :-

“इस सदन का सुनिश्चित मत है कि जनपद-गोण्डा के नगर करनैलगंज में लखनऊ-गोण्डा मुख्य हाई-वे पर दो रेलवे क्रासिंग का निर्माण कराया जाय।”

डा० आर०के० वर्मा ने निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत किया :-

“इस सदन का सुनिश्चित मत है कि जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र रानीगंज के दक्षिणी पूर्वी हिस्से में जलभराव की समस्या के समाधान हेतु उमरन ड्रेन, कमसिन ड्रेन का पुनरुद्धार किया जाय।”

संसदीय कार्य मंत्री के उत्तर भाषण के उपरान्त सदस्य ने संकल्प वापस लिया।

श्री बाबूलाल ने निम्नलिखित ने संकल्प प्रस्तुत किया :-

“इस सदन का सुनिश्चित मत है कि मेरी विधान सभा क्षेत्र-91 फतेहपुर सीकरी के ब्लॉक अछनेरा के ग्राम सभा पनवारी में पानी की टंकी (ओवरहेड टैंक) की स्थापना करायी जाय” तथा जल शक्ति राज्य मंत्री संसदीय कार्य मंत्री के उत्तर भाषण के उपरान्त सदस्य ने संकल्प वापस लिया।

डा० पल्लवी पटेल ने निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत किया :-

“इस सदन का सुनिश्चित मत है कि जनपद कौशांबी के नवसृजित नगर पालिका परिषद्, मंझनपुर के सिराथू तहसील के असकरनपुर मंगरोही एवं कोरों क्षेत्र में उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद् की आवासीय योजना सुनिश्चित करायी जाय।”

संसदीय कार्य मंत्री के उत्तर भाषण के उपरान्त संकल्प अस्वीकृत हुआ।

डा० सुरभि की अनुपस्थिति में उनके द्वारा प्रस्तुत निम्नलिखित संकल्प विलोपित हुआ :-

“इस सदन का सुनिश्चित मत है कि जनपद फरुखाबाद के विभिन्न कायमगंज के अन्तर्गत नगर पंचायत शमसाबाद का नाम परिवर्तित कर खोरनगर कर दिया जाय।”

डा० रागिनी ने निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत किया :-

“इस सदन का सुनिश्चित मत है कि जनपद जौनपुर में पिछड़ापन दूर करने एवं बेरोजगारी के निराकरण हेतु जनपद में विभिन्न औद्योगिक इकाइयों की स्थापना करायी जाय।”

संसदीय कार्य राज्य मंत्री के उत्तर भाषण के उपरान्त सदस्य ने प्रस्ताव वापस लिया।

श्री बाबूलाल ने निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत किया :-

“इस सदन का सुनिश्चित मत है कि जनपद आगरा के विधान सभा क्षेत्र फतेहपुर सीकरी (91) में राजस्थान सीमा से लगे करीब 60-70 गांवों के किसानों के लिए सिंचाई व्यवस्था को सुदृढ़ करने हेतु फतेहपुर सीकरी राजवाह से निकलने वाली मड़ौली माइनर का विस्तार एवं चौड़ीकरण कराया जाय।”

संसदीय कार्य मंत्री के उत्तर भाषण के उपरान्त मार० सदस्य ने प्रस्ताव वापस लिया।

श्री आशुतोष शुक्ल की अनुपस्थिति में उनका प्रस्तुत निम्नलिखित संकल्प विलोपित हुआ :-

“इस सदन का सुनिश्चित मत है कि महान स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी शहीद चन्द्रशेखर आजाद जन्म स्मारक स्थल स्थित ग्राम बदरका, विकास खण्ड-सिकन्दरपुर करन, तहसील-सदर, उन्नाव की लगभग 1600 मीटर मार्ग का उच्चीकरण एवं चौड़ीकरण सुनिश्चित कराया जाय।”

श्री प्रभात कुमार वर्मा की अनुपस्थिति में उनके द्वारा प्रस्तुत निम्नलिखित संकल्प विलोपित हुआ :-

“इस सदन का सुनिश्चित मत है कि जनपद गोण्डा के तहसील मनकापुर के ग्राम कूकनगर ग्रंट में उपलब्ध भूमि पर राजकीय डिग्री कॉलेज की स्थापना कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।”

श्री आशुतोष शुक्ल की अनुपस्थिति में उनके द्वारा प्रस्तुत निम्नलिखित संकल्प विलोपित हुआ :-

“इस सदन का सुनिश्चित मत है कि जनपद उन्नाव की विधान सभा क्षेत्र भगवन्तनगर के अन्तर्गत तहसील बीधापुर (पाटन) में लोक निर्माण विभाग के निरीक्षण भवन की स्थापना कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।”

डा० रागिनी ने निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत किया :-

“इस सदन का सुनिश्चित मत है कि प्रदेश में सरकारी नौकरी में महिलाओं के लिये 33 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था सुनिश्चित की जाय।”

संसदीय कार्य मंत्री के उत्तर भाषण के उपरान्त संकल्प अस्वीकृत हुआ।

श्री बाबूलाल ने निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत किया :-

“इस सदन का सुनिश्चित मत है कि जनपद आगरा के विधान सभा क्षेत्र-91, फतेहपुर सीकरी में मंडौली माइनर एवं जहानपुर गूल का विस्तार एवं चौड़ीकरण राजस्थान सीमा तक कराया जाना सुनिश्चित की जाय।”

संसदीय कार्य मंत्री के आश्वासन के दृष्टिगत सदस्य द्वारा संकल्प वापस लिया।

डा० पल्लवी पटेल ने निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत किया :-

“इस सदन का सुनिश्चित मत है कि जनपद कौशाम्बी के सिराथू विधान सभा क्षेत्र में एक आउटडोर अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के स्टेडियम का निर्माण कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।”

खेल राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) के उत्तर भाषण के उपरान्त संकल्प अस्वीकृत हुआ।

निम्नलिखित संकल्पों का प्रस्तुतीकरण एवं उन पर चर्चा आगे के लिये जारी हुई :-

ई० सचिन यादव “इस सदन का सुनिश्चित मत है कि तहसील जसराना के कस्बा एका की सीएचसी केन्द्र को उच्चीकृत कर सौ शैय्या अस्पताल बनाया जाना सुनिश्चित कराया जाये।”

श्री राम अवतार सिंह सैनी ‘‘इस सदन का सुनिश्चित मत है कि जनपद बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र-24, नूरपुर स्थित ग्राम पंचायत ताजपुर को नगर पंचायत बनाया जाना सुनिश्चित कराया जाये।’’

श्री जवाहर लाल राजपूत ‘‘इस सदन का यह सुनिश्चित मत है कि बुन्देलखण्ड में संचालित स्वयं सहायता समूहों से जुड़े लोगों/महिलाओं एवं अन्य लोगों को रोजगार उपलब्ध कराये जाने हेतु बलिनी डेयरी के उत्पादों का उत्पादन स्थानीय स्तर पर भी सुनिश्चित कराया जाये।’’

डा० आर० के ०८ को वर्मा ‘‘इस सदन का सुनिश्चित मत है कि जनपद प्रतापगढ़ के युवाओं का रोजगार के अभाव में हो रहे पलायन को रोकने हेतु प्रतापगढ़ में लघु एवं कुटीर उद्योगों की स्थापना सुनिश्चित करायी जाये।’’

श्री मौ० फहीम इरफान की अनुपस्थिति में निम्नलिखित संकल्प का प्रस्तुतीकरण एवं चर्चा विलोपित हुई :-

.“इस सदन का सुनिश्चित मत है कि विधान सभा क्षेत्र-30, बिलारी में राजकीय गर्ल्स डिग्री कॉलेज बनाया जाना सुनिश्चित कराया जाये।”

डा० नीरज बोरा की अनुपस्थिति में निम्नलिखित प्रस्ताव विलोपित हुआ :-

“यह सदन प्रस्ताव करता है कि जनपद लखनऊ में गोमती नदी के तटों पर काशी की भाँति घाटों का निर्माण कराया जाय।”

श्री जवाहर लाल राजपूत ने निम्नलिखित प्रस्ताव ध्यानाकर्षण की दशा में वापस लिया :-

“यह सदन प्रस्ताव करता है कि बिना कीटनाशक/रासायनिक खादों से उत्पादित उपज, फल, सब्जी, अनाज का उचित मूल्य किसानों को दिलाये जाने हेतु बुन्देलखण्ड की कृषि भूमि की उर्वरा शक्ति को देखते हुए क्षेत्र को प्राकृतिक खेती का हब बनाया जाय।”

श्री वीर विक्रम सिंह की अनुपस्थिति में निम्नलिखित प्रस्ताव विलोपित हुआ :-

“यह सदन प्रस्ताव करता है कि जनपद शाहजहांपुर के विधान सभा क्षेत्र कटरा के अन्तर्गत विकासखण्ड-खुदागंज के ग्राम रेहरा में वैवहा नदी पर पुल का निर्माण कराया जाय।”

श्री बेचई सरोज की अनुपस्थिति में निम्नलिखित प्रास्ताव विलोपित हुआ :-

“यह सदन प्रस्ताव करता है कि जनपद आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र लालगंज के अन्तर्गत ग्राम सभा सराय मोहन टांड में बेसो नदी पर पुल का नवनिर्माण कराया जाय।”

श्री महेन्द्रनाथ यादव के अनुरोध पर निम्नलिखित प्रस्ताव वापस लिया :-

“यह सदन प्रस्ताव करता है कि जनपद बस्ती के अन्तर्गत मुण्डेरवां में अग्निशमन केन्द्र स्थापित कराया जाये।”

डा० मुकेश चन्द्र वर्मा की अनुपस्थिति में निम्नलिखित प्रस्ताव विलोपित हुआ :-

“यह सदन प्रस्ताव करता है कि जनपद फिरोजाबाद, विधान सभा क्षेत्र शिकोहाबाद के अन्तर्गत नगलाचूरा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में डाक्टरों के अभाव में बन्द डिलीवरी एंट यथाशीघ्र पुनः चालू कराया जाये।”

श्री सचिन यादव के निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चा आगे के लिये जारी हुई :-

“यह सदन प्रस्ताव करता है कि विधान सभा क्षेत्र 96 जसराना में छात्र-छात्राओं के भविष्य को ध्यान में रखते हुये 01 एजूकेशन टाउनशिप बनाये जाने की व्यवस्था की जाये।”

श्री अनिल कुमार त्रिपाठी के निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चा आगे के लिए जारी हुई :-

“यह सदन प्रस्ताव करता है कि जनपद सन्तकबीरनगर की नगर पंचायत में हदावल को जनहित में नगर पालिका परिषद का दर्जा प्राप्त कराया जाये।”

श्री मौहम्मद फहीम इरफान की अनुपस्थिति में निम्नलिखित प्रस्ताव विलोपित हुआ :-

“यह सदन प्रस्ताव करता है कि जनपद मुरादाबाद की विधान सभा क्षेत्र बिलारी स्थित पौड़ाखेड़ा मंदिर और दादा मियां की दरगाह को पर्यटन स्थल घोषित किया जाये।”

श्री अभय सिंह ने शासन के आश्वासन पर निम्नलिखित प्रस्ताव वापस लिया :-

“यह सदन प्रस्ताव करता है कि जनपद अयोध्या के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र गोसाईगंज में जर्जर विद्युत लाइनों को बदलवाने, सर्वे कराकर ट्रांसफार्मर की क्षमता वृद्धि कराने के साथ-साथ बिजली कटौती की समस्या का समाधान कराया जाय।”

श्री नीरज बोरा की अनुपस्थिति में निम्नलिखित प्रस्ताव विलोपित हुआ :-

“यह सदन प्रस्ताव करता है कि जनपद लखनऊ में आउटर रिंग रोड/किसान पथ पर अलग-अलग दिशाओं में पांच नये अन्त्येष्टि स्थल का निर्माण किया जाय।”

डा० रागिनी के निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चा जारी रहेगी :-

“यह सदन प्रस्ताव करता है कि प्रदेश में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अन्तर्गत आउट सोर्सिंग से नियुक्त कर्मचारियों को विभागीय संविदाकर्मी के रूप में

विनियमितीकरण करते हुए उन्हें भी विभागीय कर्मियों की भाँति समस्त सुविधायें प्रदान की जाय।”

श्री मनोज कुमार पाण्डेय के निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चा आगे के लिए जारी हुई :-

“यह सदन प्रस्ताव करता है कि जनपद रायबरेली की विधान सभा ऊंचाहार के अन्तर्गत लोक निर्माण विभाग की जर्जर सड़कों का मरम्मतीकरण/चौड़ीकरण तथा कच्चे मार्गों का नवनिर्माण कराया जाय।”

श्री लोकेन्द्र प्रताप सिंह की अनुपस्थिति में निम्नलिखित प्रस्ताव विलोपित हुआ :-

“यह सदन प्रस्ताव करता है कि विधान सभा क्षेत्र मोहम्मदी के अन्तर्गत झंगेली एवं बड़खर में विद्युत उपकेन्द्र की स्थापना करायी जाय।”

श्री बेचर्द सरोज ने मा० मंत्री के अभिभाषण के उपरान्त निम्नलिखित संकल्प वापस लिया :-

“यह सदन प्रस्ताव करता है कि जनपद आजमगढ़ की विधान सभा क्षेत्र लालगंज में नव-निर्मित 100 बेड के अस्पताल व महिला अस्पताल, कटघर में डाक्टर, फार्मासिस्ट, चिकित्सकीय उपकरण, पैथोलॉजी एवं सफाईकर्मी आदि की व्यवस्था सुनिश्चित कराकर मरीजों के हित में चिकित्सकीय सुविधा बहाल किया जाय।”

निम्नलिखित सदस्यों के प्रस्तावों पर चर्चा जारी हुई :-

श्री जवाहर लाल राजपूत “यह सदन प्रस्ताव करता है कि जनपद झांसी के गुरसराय कस्बे में एक राजकीय महाविद्यालय की स्थापना की जाय।”

श्री सचिन यादव “यह सदन प्रस्ताव करता है कि विधान सभा क्षेत्र 96 जसराना में अग्निशमन केन्द्र का निर्माण कराया जाय।”

डॉ पल्लवी पटेल “यह सदन प्रस्ताव करता है कि जनपद कौशाम्बी के विधान सभा क्षेत्र 251 सिराथू के नगर पालिका परिषद मङ्गनपुर मंगरोहनी एवं नगर पंचायत सिराथू, अझुआ, कड़ा में डिजिटल लाइब्रेरी स्थापित करायी जाय।”

श्री प्रदीप कुमार यादव की अनुपस्थिति में निम्नलिखित प्रस्ताव विलोपित हुआ :-

“यह सदन प्रस्ताव करता है कि विधान सभा क्षेत्र दिवियापुर में दिवियापुर नहर पुल से मल्हौसी नहर पुल तक सी०सी० सड़क का निर्माण कराया जाय।”

श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह की अनुपस्थिति में निम्नलिखित प्रस्ताव विलोपित हुआ:-

“यह सदन प्रस्ताव करता है कि विधान सभा भरथना क्षेत्र के विकास खण्ड महेवा के ग्राम “अंदावा की मड़ैया” को विकास खण्ड चक्रनगर के ग्राम नौगांव से जोड़ने वाले मार्ग पर यमुना नदी पर पुल का निर्माण कराया जाय।”

श्री महेन्द्र नाथ यादव के निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चा जारी हुई :-

“यह सदन प्रस्ताव करता है कि जनपद बस्ती के विधान सभा क्षेत्र सदर बस्ती के अन्तर्गत मालवीय रोड पर ब्राटमण महासभा से होते हुये सेंट बेसिल्स स्कूल तक सड़क का निर्माण कराया जाय।”

श्री चन्दन चौहान की अनुपस्थिति में निम्नलिखित प्रस्ताव विलोपित हुआ :-

“यह सदन प्रस्ताव करता है कि जनपद मुजफ्फरनगर के विधान सभा क्षेत्र मीरापुर में स्थित दि गंगा किसान सहकारी चीनी मिल लि० मोराना की पेराई क्षमता 2500 टी०सी०डी० से बढ़ाकर 7500 टी०सी०डी० की जाय एवं चीनी भण्डारण हेतु भवन निर्माण कराया जाय।”

श्री जय प्रकाश अंचल के निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चा जारी हुई :-

“यह सदन प्रस्ताव करता है कि जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र बैरिया के अन्तर्गत कोल नाला से दल छपरा होकर श्री नगर टी०एस० बन्धा तक मार्ग का निर्माण/सुदृढ़ीकरण कराया जाय।”

श्रीमती रेखा वर्मा की अनुपस्थिति में निम्नलिखित प्रस्ताव विलोपित हुआ :-

“यह सदन प्रस्ताव करता है कि जनपद औरैया के विधान सभा क्षेत्र बिधूना के अन्तर्गत ग्राम पंचायत याकूबपुर को नगर पंचायत बनाया जाय।”

डा० रागिनी के प्रस्ताव पर चर्चा जारी हुई :-

“यह सदन प्रस्ताव करता है कि जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र मछलीशहर में एक विद्युत उपकेन्द्र की स्थापना करायी जाय।”

डा० पल्लवी पटेल ने निम्नलिखित प्रस्ताव वापस लिया :-

“यह सदन प्रस्ताव करता है कि जनपद कौशाम्बी के विधान सभा क्षेत्र सिराथू में केन्द्रीय विद्यालय की स्थापना करायी जाये।”

श्री सचिन यादव के निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चा जारी :-

“यह सदन प्रस्ताव करता है कि विधान सभा क्षेत्र 96 जसराना के तहसील जसराना में काले हिरनों के संरक्षण हेतु संरक्षण केन्द्र की स्थापना करायी जाय।”

श्री मौ० फहीम इरफान की अनुपस्थिति में निम्नलिखित प्रस्ताव विलोपित हुआ :-

“यह सदन प्रस्ताव करता है कि विधान सभा क्षेत्र बिलारी में मंडी समिति की स्थापना करायी जाय।”

डा० रागिनी के निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चा जारी हुई :-

“यह सदन प्रस्ताव करता है कि प्रदेश के विश्वविद्यालयों में छात्र संघ के चुनाव यथाशीघ्र कराए जाय।”

श्री रामरतन कुशवाहा ने निम्नलिखित प्रस्ताव वापस लिया :-

“यह सदन प्रस्ताव करता है कि जनपद ललितपुर के विकास खण्ड तालबेहट के ग्राम पंचायत पूराकलां में एक राजकीय इण्टर कॉलेज की स्थापना करायी जाय।”

आज दिनांक 09 फरवरी, 2024 को नियम 301 के अन्तर्गत 51 सूचनायें प्राप्त हुईं निम्नलिखित मा० सदस्यों की सूचनायें स्वीकार की गई :-

<u>क्र०-सं०</u>	<u>नाम</u>	<u>विषय</u>
1	श्री चन्द्र प्रकाश लोधी (एडवोकेट)	जनपद फतेहपुर के सांतोषीत में स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का नामकरण शहीद सैनिक हसरत अली के नाम पर किए जाने के सम्बन्ध में।
2	श्री रत्नाकर मिश्र	मिर्जापुर के अन्तर्गत कोन ब्लॉक में बने पीपा पुल को चालू कराए जाने के सम्बन्ध में।
3	श्री जय प्रकाश अंचल	जनपद बलिया के बैरिया में सड़क का पुनर्निर्माण कराए जाने के सम्बन्ध में।
4	श्री जवाहर लाल राजपूत	जनपद झांसी में गुरसराय ब्लॉक में धसान नदी पर सोनकपुर में लिफ्ट कैनाल का निर्माण कराए जाने के सम्बन्ध में।
5	श्री मूलचन्द्र सिंह	जनपद जालौन के विधान सभा क्षेत्र माधौगढ़ गोहन माधौगढ़ में मार्ग के निर्माण के सम्बन्ध में।
6	श्री बेचई सरोज	जनपद आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र लालगंज में नदी के ऊपर कतिपय पुलों के निर्माण के सम्बन्ध में।
7	श्रीमती पल्लवी पटेल	जनपद लखनऊ के सेक्टर 4 विकास नगर में बिजली के तार बदले जाने के सम्बन्ध में।
8	श्री राम सिंह पटेल	जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र पट्टी के ग्राम सभा कुकुआर में नाले का निर्माण कराए जाने के सम्बन्ध में।
9	श्री माता प्रसाद पाण्डेय	जनपद सिद्धार्थनगर के विधान सभा क्षेत्र इटवा के अन्तर्गत कतिपय मार्ग के निर्माण के सम्बन्ध में।

<u>क्र०-सं०</u>	<u>नाम</u>	<u>विषय</u>
10	इंजी० ब्रजेश कठेरिया	जनपद मैनपुरी के विधान सभा क्षेत्र किशनी में राजकीय नलकूप लगाये जाने के सम्बन्ध में।
11	श्री कविन्द्र चौधरी	जनपद बस्ती के अन्तर्गत कप्तानगंज में फ्लाईओवर बनवाए जाने के सम्बन्ध में।
12	श्री श्याम सुन्दर	जनपद रायबरेली के विधान सभा क्षेत्र बछरावां के अन्तर्गत कतिपय मार्ग के निर्माण के सम्बन्ध में।
13	मो० ताहिर खान	जनपद सुल्तानपुर के विधान सभा क्षेत्र इसौली के अन्तर्गत ग्राम सभा आलामऊ मार्ग के निर्माण के सम्बन्ध में।
14	श्री राम अचल राजभर	जनपद अंबेडकरनगर के विधान सभा क्षेत्र अकबरपुर के अन्तर्गत ग्राम सभा जोगापुर के अन्तर्गत सड़क के निर्माण के सम्बन्ध में।
15	डॉ० आर० के० वर्मा	जनपद प्रयागराज की महिला को फर्जी मुकदमे से न्याय दिलाए जाने के सम्बन्ध में।
16	श्री अनिल प्रधान	जनपद चित्रकूट में शमशान घाट बनवाए जाने के सम्बन्ध में।
17	श्री प्रभु नारायण सिंह यादव	जनपद चंदौली के सकलडीहा में अमिलाई माइनर पर सैदपुर संपर्क मार्ग बनाए जाने के सम्बन्ध में।
18	श्री हाकिम लाल बिन्द	जनपद प्रयागराज के विकास खंड हैंडिया के अन्तर्गत टेला में सब विद्युत सब स्टेशन बनाए जाने के सम्बन्ध में।
19	श्री अशोक कुमार	जनपद रायबरेली के सलोन में अवैध ल्लाटिंग के विरुद्ध कार्यवाही के सम्बन्ध में।
20	श्री रमाशंकर सिंह	जनपद मिर्जापुर के मड़िहान में कतिपय मार्ग के चौड़ीकरण के सम्बन्ध में।
21	श्री राजेश चौधरी	जनपद मथुरा के ग्राम बाघरा में कतिपय महाविद्यालय की मान्यता रद्द किये जाने के सम्बन्ध में।
22	श्री विवेक कुमार	जनपद पीलीभीत के बीसलपुर में फायर स्टेशन की स्थापना के सम्बन्ध में।

<u>क्र०-सं०</u>	<u>नाम</u>	<u>विषय</u>
23	श्री बाबूराम	जनपद पीलीभीत के पूरनपुर में कतिपय पुल के निर्माण के सम्बन्ध में।
24	श्रीमती ओममणी वर्मा	जनपद बांदा के नरैनी में स्टेडियम बनवाए जाने के सम्बन्ध में।
25	श्री मनोज कुमार पाण्डे	जनपद रायबरेली के ऊचाहार में कतिपय भूमि के आवंटन के सम्बन्ध में।
26	डॉ० रागिनी	विधान सभा क्षेत्र मछलीशहर में 63 के० वी० ए० का ट्रांसफार्मर के अधिस्थापन के सम्बन्ध में।
27	स्वामी ओउमवेश	जनपद बिजौर के विकास खंड नूरपुर में कतिपय सड़क की मरम्मत के सम्बन्ध में।
28	श्री अभय सिंह	जनपद अयोध्या में कतिपय विद्यालय का बिना सहमति भवन बनवाए जाने के सम्बन्ध में।
29	श्री गौरीशंकर वर्मा	जनपद जालौन के विकास खंड डाकोर में कतिपय सड़क निर्माण के सम्बन्ध में।
30	श्री विनोद सिंह बिन्द	जिला चिकित्सालय एवं महिला चिकित्सालय अयोध्या में की निविदा में अनियमितता के सम्बन्ध में।
31	श्री मनोज कुमार पारस	जनपद बिजौर के विधान सभा क्षेत्र नगीना के कस्बा किरतपुर में मार्ग एवं नाले के निर्माण के सम्बन्ध में।
32	श्री मुकेश चौधरी	जनपद सहारनपुर के नकुड़ विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत बने एयरपोर्ट के निकट फार्मा कंपनी हब बनाए जाने के सम्बन्ध में।
33	श्री समरपाल सिंह	जनपद अमरोहा के विधान सभा क्षेत्र नौगांव सादात के अन्तर्गत ग्राम उकसी रायपुर में कच्ची सड़क को पक्का कराए जाने के सम्बन्ध में।

आज दिनांक 09 फरवरी, 2024 को नियम-51 के अन्तर्गत कुल 92 सूचनायें प्राप्त

हुई।

निम्नलिखित मा० सदस्यों की सूचनायें ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत हुई :-

<u>क्र०-सं०</u>	<u>नाम</u>	<u>विषय</u>
1	श्रीमती ऊषा मौर्या	विधान सभा क्षेत्र 242 हुसैनगंज फतेहपुर के अन्तर्गत हथगाम से सवंत तक संपर्क मार्ग का नवनिर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में।
2	श्री पंकज कुमार मलिक	प्रदेश के अन्दर किसानों को सहकारी समिति की तरफ से यूरिया खाद के साथ जबरदस्ती तरल यूरिया (नैनो) दिये जाने के सम्बन्ध में।
3	श्री चन्द्र प्रकाश लोधी (एडवोकेट)	जनपद फतेहपुर के विधान सभा क्षेत्र फतेहपुर क्षेत्र की कतिपय जर्जर एवं क्षतिग्रस्त सड़कों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में।
4	श्री गुलाम मोहम्मद	जनपद मेरठ में जानी गंगनहर पुल से नगर पंचायत सिवाल खास तक सड़क का चौड़ीकरण/सुदृढ़ीकरण कराने के सम्बन्ध में।
5	श्री बृजेश कुमार	विकास खंड-औरास, जनपद उन्नाव के अन्तर्गत ग्राम हाजीपुर गोसा में 11 के०वी०ए० विद्युत की आपूर्ति कराये जाने के सम्बन्ध में।
6	श्री बाबूलाल	फतेहपुर सीकरी अन्तर्गत ब्लाक अंकोला के ग्राम कराहरा में कच्चे मार्ग को पक्का कराने के सम्बन्ध में।
7	श्री संदीप सिंह	जनपद प्रयागराज के मेजा विधान सभा क्षेत्र के अमिलिया खुर्द में नाले पर पुलिया का निर्माण कराने के सम्बन्ध में।
8	श्री जय प्रकाश अंचल	विधान सभा क्षेत्र बैरिया के अन्तर्गत कतिपय स्वास्थ्य केन्द्रों पर डॉक्टरों एवं अन्य विकित्सक स्टाफ की नियुक्ति/तैनाती कराये जाने के सम्बन्ध में।
9	श्री सचिन यादव	विधान सभा क्षेत्र जसराना में मक्खनपुर, प्रतापपुर, हाथवंत, कोटला मार्ग का चौड़ीकरण व सुदृढ़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में।
10	श्री अमिताभ बाजपेयी	जनपद गाजियाबाद श्रम विभाग में सामूहिक कन्या विवाह योजना में हुई धांधली एवं अनियमितता के सम्बन्ध में।

<u>क्र०-सं०</u>	<u>नाम</u>	<u>विषय</u>
11	श्री प्रसन्न कुमार	जनपद शामली नगर पालिका परिषद शामली के कतिपय मार्ग से अवैध दीवार हटवाकर जनमानस के लिये रास्ता चालू कराये जाने के सम्बन्ध में।
12	जवाहर लाल राजपूत	जनपद झांसी में गरीठा विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत गुरसराय के ग्राम गुड़ा में धसान नदी पर तोभूमि विश्वमित्र की जन्म स्थली तक एवं अन्य मंदिरों तक सङ्क मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में।
13	डॉ आर०के० पटेल	जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र मड़ियाहूँ के अन्तर्गत रामपुर-गोपालपुर-जुड़पुर-जयरामपुर सम्पर्क मार्ग के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में।
14	श्री मुकेश चन्द्र वर्मा	जनपद फतेहपुर के विधान सभा क्षेत्र खागा के अन्तर्गत ग्राम- सिहारी पट्टी में जनता जूनियर हाईस्कूल (मानपुर रोड लिंक) से इंटरलॉकिंग खड़णा का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में।
15	श्रीमती सरोज कुरील	घाटमपुर विधान सभा के विकास खण्ड भीतरगाँव में ग्राम पंचायत रार के गाटा सं०-९७६ (बंजर भूमि) में अनैतिक रूप से काबिज लोगों के द्वारा प्रस्तावित अन्येष्टि स्थल न बनाये जाने के सम्बन्ध में।
16	श्री बेचई सरोज	जनपद आजमगढ़ की विधान सभा क्षेत्र लालगंज में बाईपास पर बस स्टेशन बनाये जाने के सम्बन्ध में।
17	श्री राम फेरन पाण्डेय	विधान सभा क्षेत्र २९० श्रावस्ती के विं०खं० इकौना के अन्तर्गत ग्राम भरथापुर एवं विं०खं० गिलौला के ग्राम चन्द्रखाबुजुर्ग में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में।
18	श्री राजेन्द्र प्रसाद चौधरी	विधान सभा क्षेत्र रुधीली, जनपद बस्ती में द्रामा सेण्टर सहित १०० बेड का अस्पताल स्थापित कराये जाने के सम्बन्ध में।
19	श्री त्रिभुवन दत्त	जनपद अम्बेडकर नगर की विधान सभा क्षेत्र आलापुर के विकास खण्ड रामनगर के ग्राम विमावल में भीटी मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में।

<u>क्र०-सं०</u>	<u>नाम</u>	<u>विषय</u>
20	श्री राम सिंह पटेल	विधान सभा क्षेत्र पट्टी के अन्तर्गत ग्राम रेडीगारा में इण्टरलाकिंग/सी०सी० रोड का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में।
21	श्री कविन्द्र चौधरी	जनपद बस्ती के HV कनेक्शन श्रेणी के उपभोक्ताओं को पिछले चार-पांच वर्षों से उनके जमा सिक्योरिटी की धनराशि पर ब्याज नहीं दिये जाने के सम्बन्ध में।
22	श्री अखिलेश	जनपद आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र मुबारकपुर में ग्राम सभा सलारपुर से चियूटही तक जर्जर सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में।
23	श्री अशरफ अली खान	ग्राम सोनता रसूलपुर, जनपद शामली में स्थापित राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में प्रशिक्षण कार्य प्रारम्भ कराये जाने के सम्बन्ध में।
24	श्री प्रदीप कुमार सिंह, उर्फ गुड्डू चौधरी	जनपद हाथरस के विधान सभा सादाबाद में ग्राम पिपरामई से करसौरा तक सड़क निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में।
25	श्री राजपाल सिंह बालियान	जनपद मुजफ्फरनगर के विधान सभा क्षेत्र बुढ़ाना के बहुउद्देशीय प्राथमिक ग्रामीण सहकारी समिति के भवनों के छतों का मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में।
26	डॉ० आर० के० वर्मा,	जनपद प्रयागराज में पीड़ित महिला के ऊपर फर्जी मुकदमे से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।
27	श्री राजेन्द्र कुमार	जनपद मऊ के विधान सभा क्षेत्र गोहना के रामनगर मोड़ तिराहे से महराज की कुटी वाली सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में।
28	श्री प्रभु नारायन सिंह यादव	विधान सभा क्षेत्र सकलडीहा के अन्तर्गत रमौली विद्युत सब स्टेशन को अलग लाइन बनाकर 132 धानापुर से जोड़े जाने के सम्बन्ध में।
29	श्री दुर्गा प्रसाद यादव	विधान सभा क्षेत्र सदर, आजमगढ़ में मूलभूत चिकित्सा व्यवस्था उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।

<u>क्र०-सं०</u>	<u>नाम</u>	<u>विषय</u>
30	इंजी बृजेश कठेरिया	विधान सभा किशनी में राजकीय नलकूप लगाये जाने में हो रही अनियमितता के सम्बन्ध में।
31	श्री राम अचल राजभर	विधान सभा क्षेत्र अकबरपुर के अन्तर्गत रघुनाथपुर पिच मार्ग सड़क निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में।
32	श्री महेन्द्र नाथ यादव	जनपद बस्ती के विधान सभा सदर में स्टेट मेडिकल कॉलेज नगहरा चौराहा से देवरिया तक सड़क चौड़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में।
33	श्री अनिल प्रधान	जनपद चित्रकूट के समस्त ग्राम पंचायतों के विद्युतीकरण से छूटे हुये मजरों में विद्युतीकरण का कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में।
34	श्री हाकिम लाल बिन्द	जनपद प्रयागराज के विकास खंड धनुपुर ग्राम सभा कांगपुर-होलापुर संपर्क मार्ग का निर्माण के सम्बन्ध में।
35	श्री प्रेम सागर पटेल	जनपद महराजगंज की नगरपालिका परिषद सिसवा के फर्जी रजिस्टर 1962 को तत्काल बंद कराये जाने के सम्बन्ध में।
36	श्री संजय कुमार शर्मा	विधान सभा क्षेत्र अनूपशहर (बुलन्दशहर) के ग्राम बिसुन्दरा-ग्राम-पभसरा सम्पर्क मार्ग निर्माण के सम्बन्ध में।
37	श्री देवेन्द्र कुमार निम	विधान सभा क्षेत्र रामपुर मनिहारन के ग्राम चुनहैटी गाड़ा में कम्युनिटी यूज की भूमि पर अवैध प्लाटिंग के सम्बन्ध में।
38	श्री राजेन्द्र सिंह पटेल	विधान सभा क्षेत्र जहानाबाद (फतेहपुर) अन्तर्गत गोपालपुर से मेन रोड तक सड़क निर्माण के सम्बन्ध में।
39	श्री निर्मल वर्मा	जनपद सीतापुर के विधान सभा क्षेत्र विसवां के ग्राम नकेला से गेरुहा सम्पर्क मार्ग तक सड़क निर्माण के सम्बन्ध में।
40	डॉ अमित सिंह चौहान	विधान सभा क्षेत्र बीकापुर (अयोध्या) में ड्योड़ी बाजार में नई पुलिस चौकी की स्थापना के सम्बन्ध में।
41	श्री जयद्रथ उर्फ प्रवक्तानन्द	विधान सभा क्षेत्र बरखेड़ा (पीलीभीत) टोडरपुर एहतमाली से मझौला-धनकुना मार्ग का निर्माण के सम्बन्ध में।

क्र०-सं०	नाम	विषय
42	श्रीमती मनीषा	जनपद हमीरपुर की विधान सभा क्षेत्र राठ में सिंचाई विभाग द्वारा ब्लॉ टेप्डर पर किये गये कार्यों की जाँच के सम्बन्ध में।
43	प्रो० श्याम बिहारी लाल	विधान सभा क्षेत्र फरीदपुर (बरेली) की नगर पालिका परिषद् फरीदपुर में दूषित जल निकासी की व्यवस्था के सम्बन्ध में।
44	श्री प्रदीप शुक्ला	विधान सभा क्षेत्र सहजनवा (गोरखपुर) के ग्राम महुआ डाबर-चपरहट सम्पर्क मार्ग-रामपुर मलौली सम्पर्क मार्ग निर्माण के सम्बन्ध में।
45	श्री सीताराम वर्मा	विधान सभा लम्भुआ (सुल्तानपुर) की मण्डी परिषद् की सड़कों का निर्माण के सम्बन्ध में।
46	श्रीमती सरिता भदौरिया	जनपद इटावा की विधान सभा सदर के अन्तर्गत इकदिल को नवीन विकास खण्ड घोषित करने के सम्बन्ध में।
47	श्रीमती ओममणी वर्मा	जनपद बांदा के नरैनी में रेलवे ओवरब्रिज के निर्माण के सम्बन्ध में।
48	श्री विवेकानन्द पाण्डेय	जनपद कुशीनगर के खड्हा विधान सभा के नगर पंचायत छत्तौनी के निर्माण में हो रही अनियमितता के सम्बन्ध में।
49	श्री मनोज कुमार पाण्डेय	फिरोज गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नोलॉजी रायबरेली में हो रही अनियमितताओं के सम्बन्ध में।
50	श्री स्वामी ओउमवेश	विधान सभा क्षेत्र चाँदपुर (बिजौर) ग्राम मीरापुर-शेखपुरी चौहड़-बास्टा तक सड़क निर्माण के सम्बन्ध में।
51	श्री देवेन्द्र प्रताप सिंह	UPSIDC द्वारा विधान सभा क्षेत्र सरेनी जनपद रायबरेली में अवैध आवासीय/व्यापारिक भवन निर्माण के सम्बन्ध में।
52	श्री राम चन्द्र यादव	विधान सभा क्षेत्र रुदौली (जनपद अयोध्या) अन्तर्गत एन०एच०-२७ से अखिलयारपुर व भेलसर-रहीमगंज तथा

<u>क्र०-सं०</u>	<u>नाम</u>	<u>विषय</u>
		सुजांगज, अलीमनगर, ममरेजनगर, सरदार वल्लभ भाई पटेल प्रतिमा स्थल होते हुये मरौचा सम्पर्क मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में।
53	श्री अतुल प्रधान	विधान सभा क्षेत्र सरथना, जनपद मेरठ के कस्बा लावड़ में घरों के ऊपर गुजर रही हाईटेंशन लाइन हटाये जाने के सम्बन्ध में।
54	डॉ रागिनी	प्रदेश में वेटनरी फार्मासिस्ट तथा पशुधन प्रसार अधिकारी के रिक्त पदों पर भर्ती के सम्बन्ध में।
55	श्री रमेश चन्द्र मिश्र	विधान सभा क्षेत्र बदलापुर में जिला पंचायत द्वारा सड़कों का निर्माण के सम्बन्ध में।
56	श्री अभय सिंह	जिला पंचायत अयोध्या द्वारा ग्राम पंचायत रतनपुर तेंदुआ में रामनग-मऊ सम्पर्क मार्ग से नुवावा-बैदरा मार्ग के सड़क निर्माण की जाँच कराये जाने के सम्बन्ध में।
57	श्री गौरीशंकर वर्मा	विधान सभा क्षेत्र उरई, जनपद जालौन के विकास खण्ड डकोर के ग्राम धुगवा खुर्द के बम्बा से लेकर हरदोई गुर्जर ईदगाह तक गांव की ओर जाने वाली सम्पर्क मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में।
58	श्री लक्ष्मी राज सिंह	विधान सभा क्षेत्र सिकन्द्राबाद (बुलन्दशहर) में फैकिट्रियों के आस-पास स्थित किसानों की भूमि को फ्री-होल्ड कर पुरानी फैकिट्रियों का सीमा विस्तार कराये जाने के सम्बन्ध में।
59	श्री सुशील कुमार शाक्य	जनपद फरुखाबाद में लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों द्वारा जसमई-सिरौली मार्ग के निर्माण में किये अष्टाचार की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में।
60	श्री मुकेश चौधरी	विधान सभा क्षेत्र नकुड़ (सहारनपुर) सिंचाई विभाग द्वारा सहारनपुर-नकुड़ रोड, कुम्हाहेड़ रजवाहे की पटरी सहारनपुर-अम्बाला रोड का निर्माण के सम्बन्ध में।
61	श्री मनोज कुमार पारस	विधान सभा क्षेत्र नगीना (बिजनौर) के किरतपुर-मौजमपुर मार्ग से बुडगरा मार्ग पर मालन नदी के पुल से ग्राम बुडगरा तक गन्ना विभाग द्वारा बनाये

क्र०-सं० नाम

विषय

गये मार्ग का पुनः निर्माण कराये जाने हेतु लो०नि०वि० खण्ड, नजीबाबाद बिजनौर को आदेशित करने के सम्बन्ध में।

62 श्री समरपाल सिंह

जनपद अमरोहा के विधान सभा क्षेत्र नौगावां सादात के गांव लालू नंगला से नौरायन तक जर्जर सड़कों का मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में।

शेष सूचनाये अस्वीकृत हुई।

श्री मनोज कुमार पाण्डेय, सदस्य, विधान सभा की जनपद रायबरेली के विकास खण्ड दीनशाह गौरा के अन्तर्गत ग्राम पूरे भूपाल सिंह गौरा हरदो में धूरी से थुलरई तक व कतिपय अन्य मार्गों का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अशोक मिश्रा, निवासी जनपद रायबरेली की याचिका उपस्थित की हुयी मानी गयी।

श्री सचिन यादव, सदस्य, विधान सभा की जनपद फिरोजाबाद की तहसील जसराना के अन्तर्गत ग्राम हिम्मतपुर में श्री फोरन सिंह के घर से श्री रविन्द्र सिंह की ठार तक सी०सी० मार्ग का निर्माण (लगभग 400 मी०) कराये जाने के सम्बन्ध में श्री हरिविलास सिंह व अन्य निवासीगण जनपद फिरोजाबाद की याचिका उपस्थित की हुयी मानी गयी।

श्रीमती गीता शास्त्री, सदस्य, विधान सभा की अनुपस्थिति में जनपद प्रयागराज के विकास खण्ड मऊआइमा की ग्राम पंचायत जमुई में स्व० श्रीनाथ सिंह पटेल निवास मार्ग से जलालपुर नहर की पुलिया तक सड़क का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री रामसेवक प्रजापति व अन्य निवासीगण जनपद प्रयागराज की याचिका व्यपगत हुई।

श्री सुरेश कुमार, सदस्य, विधान सभा की जनपद अमेठी के विकास खण्ड बाजार शुक्ल के अन्तर्गत ग्राम पंचायत अहमदपुर में रोशन लाल पिच रोड से नहर की पटरी होते हुए पूरे मऊपाली सम्पर्क मार्ग का नव निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री संजय मौर्या व अन्य निवासीगण जनपद अमेठी की याचिका उपस्थित (की हुई मानी गयी)।

श्रीमती अनुपमा जायसवाल, सदस्य, विधान सभा की अनुपस्थिति में जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र बहराइच सदर के अन्तर्गत ग्राम बरौआ भदौली में महराजदीन के घर से सुलेमान के घर तक सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राजप्रताप जायसवाल, निवासी जनपद बहराइच की याचिका व्यपगत हुई।

मेजर सुनील दत्त द्विवेदी, सदस्य, विधान सभा की जनपद फरुखाबाद के विकास खण्ड कमालगंज के ग्राम हुसैनपुर नौखण्डा में सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री रामकुमार कुशवाहा व अन्य निवासीगण जनपद फरुखाबाद की याचिका उपस्थित की हुयी मानी गयी।

श्री वीर विक्रम सिंह, सदस्य, विधान सभा की अनुपस्थिति में जनपद शाहजहाँपुर के विकास खण्ड खुदागंज के मकरन्दपुर नहर पुलिया से ग्राम पलिया तक सड़क मार्ग का डामरीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री नरेन्द्र सिंह व अन्य निवासीगण जनपद शाहजहाँपुर की याचिका व्यपगत हुई।

श्री विकास गुप्ता, सदस्य, विधान सभा की जनपद फतेहपुर के कस्बा असोथर में फायर स्टेशन बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री अमित कुमार व अन्य निवासीगण जनपद फतेहपुर की याचिका उपस्थित की हुयी मानी गयी।

श्री अतुल प्रधान, सदस्य, विधान सभा की जनपद मेरठ के अन्तर्गत ग्राम गड़ीना में गड़ीना-बातनौर मार्ग से फलावदा मार्ग तक जर्जर सड़क के मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में श्री बाबर रिजवी व अन्य निवासीगण जनपद मेरठ की याचिका उपस्थित की हुयी मानी गयी।

श्री प्रदीप कुमार चौधरी, सदस्य, विधान सभा की अनुपस्थिति में जनपद बुलन्दशहर की सदर विधान सभा क्षेत्र के ग्राम ग्यासपुर में बाबू के घर से छज्जूगढ़ी तक लगभग 250 मी० मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राजकुमार सिंह व अन्य निवासीगण जनपद बुलन्दशहर की याचिका व्यपगत हुई।

श्री ब्रजभूषण राजपूत, सदस्य, विधान सभा की अनुपस्थिति में जनपद महोबा विधान सभा क्षेत्र चरखारी में ग्राम दुलारा से गडौरा सम्पर्क मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री धीरेन्द्र तिवारी व अन्य निवासीगण जनपद महोबा की याचिका व्यपगत हुई।

श्री प्रदीप कुमार सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद हाथरस के विधान सभा क्षेत्र सादाबाद में ग्राम भडनई से धनोलो तक मार्ग का डामरीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राम सहाय व अन्य निवासीगण जनपद हाथरस की याचिका उपस्थित की हुयी मानी गयी।

श्री चन्दन चौहान, सदस्य, विधान सभा की अनुपस्थिति में जनपद मुजफ्फरनगर के विधान सभा क्षेत्र मीरापुर के ग्राम तेवड़ा मदरसा से जोली रोड तक मार्ग का चौड़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री इजराइल व अन्य निवासीगण जनपद मुजफ्फरनगर की याचिका व्यपगत हुई।

श्री सुरेन्द्र मैथानी, सदस्य, विधान सभा की अनुपस्थिति में जनपद कानपुर के अर्मापुर सेतु, कानपुर से जनखत मण्डी (विषधन रोड) एक्सप्रेस-वे तक लोअर गंगा कैनाल पर फोर लेन मार्ग का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री ललित उपाध्याय व अन्य निवासीगण जनपद कानपुर की याचिका व्यपगत हुई।

श्री लक्ष्मीराज सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद बुलन्दशहर की सिकन्दराबाद विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम वैलाना से आजमपुर-हुसैनपुर तक काली सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री चमन कुमार सिंह व अन्य निवासीगण जनपद बुलन्दशहर की याचिका उपस्थित की हुयी मानी गयी।

श्री अजय, सदस्य, विधान सभा की जनपद गोण्डा के विकास खण्ड करनैलगंज के पसका मार्ग के दुरौनी चौराहे से तिवारी बाजार होते हुए माँ बाराही स्थल तक सड़क मार्ग का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सुभाष यादव व अन्य निवासीगण जनपद गोण्डा की याचिका उपस्थित की हुयी मानी गयी ।

श्री राजपाल सिंह बालियान, सदस्य, विधान सभा की अनुपस्थिति में जनपद मुजफ्फरनगर के विधान सभा क्षेत्र बुढ़ाना के विंखो बुढ़ाना के पिटलोकर पुल के नगला (रियावली) का बाईपास लम्बाई लगभग 2 किमी० का पुल का निर्माण के सम्बन्ध में श्री रियासत व अन्य निवासीगण जनपद मुजफ्फरनगर की याचिका व्यपगत हुई ।

श्री अमिताभ बाजपेई, सदस्य, विधान सभा की जनपद कानपुर के जे०के० कैंसर संस्थान कानपुर को रीजनल कैंसर इंस्टीट्यूट में स्थापित करने के सम्बन्ध में श्री नीरज सिंह व अन्य निवासीगण जनपद कानपुर की याचिका उपस्थित की हुयी मानी गयी ।

श्री प्रसन्न कुमार, सदस्य, विधान सभा की जनपद शामली के विधान सभा क्षेत्र सदर शामली के ग्राम कुड़ाना में शामली भोराकलां मार्ग से सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र कुड़ाना तक जर्जर मार्ग (400 मी०) का विशेष मरम्मत का कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री जितेन्द्र सिंह व अन्य निवासीगण जनपद शामली की याचिका उपस्थित की हुयी मानी गयी ।

श्री जय प्रकाश अंचल, सदस्य, विधान सभा की जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र वैरिया के अन्तर्गत एनएच-31 दया छपरा से बुद्धनचक होकर रिंग बांध तक जाने वाले मार्ग का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री किशुन पासवान व अन्य निवासीगण जनपद बलिया की याचिका उपस्थित की हुयी मानी गयी ।

श्री महेन्द्र नाथ यादव, सदस्य, विधान सभा की जनपद सिद्धार्थनगर के विधान सभा क्षेत्र इटवा के ग्राम कमसार में नलकूप लगवाये जाने के सम्बन्ध में श्री सुधाकर त्रिपाठी, निवासी जनपद सिद्धार्थनगर की याचिका उपस्थित की हुयी मानी गयी ।

श्री विनोद चतुर्वेदी, सदस्य, विधान सभा की जनपद जालौन के विधान सभा क्षेत्र-220, कालपी के अन्तर्गत विकास खण्ड कदौरा के बरही मोड़ से पथरेहटा मोड़ तक सड़क निर्माण के सम्बन्ध में श्री राम सिंह व अन्य निवासीगण जनपद जालौन की याचिका उपस्थित की हुयी मानी गयी ।

श्री लालजी वर्मा, सदस्य, विधान सभा की अनुपस्थिति में जनपद अम्बेडकरनगर के विकास खण्ड भीटी के अन्तर्गत रामपुर ग्रण्ट-महरुआ सम्पर्क मार्ग से लक्ष्मनगंज-भीटी सम्पर्क मार्ग खड़न्जा स्तर को लेपन निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री श्याम नरायन व अन्य निवासीगण जनपद अम्बेडकरनगर की याचिका व्यपगत हुई ।

डा० मुकेश चन्द्र वर्मा, सदस्य, विधान सभा की अनुपस्थिति में जनपद फिरोजाबाद की विधान सभा क्षेत्र शिकोहबाद के ग्राम दखिनारा में होतीलाल दिवाकर के घर से कायम सिंह

पुजारी के घर तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री होती लाल दिवाकर व अन्य निवासीगण जनपद फिरोजाबाद की याचिका व्यपगत हुई।

डा० अमित सिंह चौहान, सदस्य, विधान सभा की जनपद अयोध्या की तहसील सोहावल विकास खण्ड मसौधा के ग्राम पंचायत खानपुर मसौधा के ग्राम भूपति पुरवा को जोड़ने वाला मार्ग प्रयागराज मार्ग से भूपति पुरवा जिसका निर्माण सी०सी० मार्ग ग्रामीण अभियंत्रण विभाग अयोध्या द्वारा 18 वर्ष पूर्व किया गया था, के पुनर्निर्माण के सम्बन्ध में श्री धर्मराज वर्मा व अन्य निवासीगण जनपद अयोध्या की याचिका उपस्थित की हुयी मानी गयी।

श्री सीताराम वर्मा, सदस्य, विधान सभा की जनपद सुल्तानपुर के विधान सभा क्षेत्र-190, लम्झुआ के अन्तर्गत नदी पर कटसारी में स्थायी पुल बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री संजय सरोज व अन्य निवासीगण जनपद सुल्तानपुर की याचिका उपस्थित की हुयी मानी गयी।

श्री संजय कुमार शर्मा, सदस्य, विधान सभा की अनुपस्थिति में जनपद बुलन्दशहर की तहसील व ब्लॉक स्याना के अन्तर्गत ग्राम सुलैला से जलालपुर तक लम्बाई लगभग 1.5 किमी० मार्ग को पक्का बनवाये जाने के सम्बन्ध में श्री धीरेन्द्र सिंह व अन्य निवासीगण जनपद बुलन्दशहर की याचिका व्यपगत हुई।

श्री प्रकाश द्विवेदी, सदस्य, विधान सभा की अनुपस्थिति में जनपद बांदा के विकास खण्ड महुआ के अन्तर्गत ग्राम विलगांव में नया विद्युत सब-स्टेशन स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में श्री राजर्षि शुक्ला व अन्य निवासीगण जनपद बांदा की याचिका व्यपगत हुई।

श्री प्रभात कुमार वर्मा 'एड०', सदस्य, विधान सभा की अनुपस्थिति में जनपद गोण्डा की तहसील मनकापुर के विकास खण्ड बभनजोत के अन्तर्गत राजकीय महाविद्यालय कूकनगर ग्रन्त का नव निर्माण/वित्तीय स्वीकृति कराये जाने के सम्बन्ध में श्री कप्तान श्रीवास्तव व अन्य निवासीगण जनपद गोण्डा की याचिका व्यपगत हुई।

श्रीमती मनीषा, सदस्य, विधान सभा की जनपद हमीरपुर के विधान सभा क्षेत्र राठ के ग्राम इटेलिया बाजा से ग्राम इस्लामपुर तक के मार्ग का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अमर सिंह राजपूत व अन्य निवासीगण जनपद हमीरपुर की याचिका उपस्थित की हुयी मानी गयी।

श्री विवेकानन्द पाण्डेय, सदस्य, विधान सभा की जनपद कुशीनगर के विकास खण्ड खड़ा के महराजगंज के चन्दागुलर भाग से बंजारी पट्टी तक (11 किमी०) शेष निर्माण कार्य को पूर्ण कराकर 03 मी० से 07 मी० चौड़ीकरण किये जाने के सम्बन्ध में श्री आनन्द सिंह व अन्य निवासीगण जनपद कुशीनगर की याचिका उपस्थित की हुयी मानी गयी।

श्री महेन्द्र सिंह खड़गवंशी, सदस्य, विधान सभा की अनुपस्थिति में जनपद अमरोहा के विकास खण्ड गंगेश्वरी अन्तर्गत ग्राम गंगाचोली में गंगा बांध से प्रा० स्कूल तक सी०सी० रोड व

नाली निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मेवाराम व अन्य निवासीगण जनपद अमरोहा की याचिका उपस्थित हुई।

श्री मूलचंद सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद जालौन में उत्पादित मटर का समर्थन मूल्य निर्धारण किये जाने के सम्बन्ध में श्री गौरी चाबोर व अन्य निवासीगण जनपद जालौन की याचिका उपस्थित की हुयी मानी गयी।

डॉ० रागिनी, सदस्य, विधान सभा की जनपद जौनपुर के मछलीशहर विधान सभा क्षेत्र के मडियाहूँ मुख्य मार्ग से ग्राम सभा उतिराई तक पिच रोड का मरम्मत कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अरविन्द यादव व अन्य निवासीगण जनपद जौनपुर की याचिका उपस्थित की हुयी मानी गयी।

श्री बाबूलाल, सदस्य, विधान सभा की जनपद आगरा के ब्लाक अकोला के ग्राम नहचानी से शमशान घाट तक पक्की सड़क का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सुमित चाहर व अन्य निवासीगण जनपद आगरा की याचिका उपस्थित की हुयी मानी गयी।

श्री त्रिभुवन दत्त, सदस्य, विधान सभा की जनपद अम्बेडकरनगर के विधान सभा क्षेत्र-279, आलापुर के ग्राम लखनडीह में पिच मार्ग पर रविन्दर यादव के घर के पूरब से नरियाव दलित बस्ती तक सड़क (1.5 किमी०) निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री रमाकान्त यादव व अन्य निवासीगण जनपद अम्बेडकरनगर की याचिका उपस्थित की हुयी मानी गयी।

श्री रमेश चन्द्र मिश्र, सदस्य, विधान सभा की जनपद जौनपुर के बदलापुर के अन्तर्गत राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय खालिसपुर व गढागोपालपुर का जीर्णोद्धार तथा राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय बरौली की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में श्री गंगा सिंह व अन्य निवासीगण जनपद जौनपुर की याचिका उपस्थित की हुयी मानी गयी।

श्री आशीष कुमार सिंह “आशू”, सदस्य, विधान सभा की जनपद हरदोई के विधान सभा क्षेत्र बिलग्राम-मल्लावां में लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत सड़कें फर्म मेसर्स सूर्य प्रकाश सिंह द्वारा माधौगंज-मटियामऊ मार्ग से करीमपुरवा सम्पर्क मार्ग में हुए गुणवत्ताहीन कार्यों की जाँच करवाकर जिम्मेदारों पर कार्रवाई कराये जाने के सम्बन्ध में श्री जतिन पटेल व अन्य निवासीगण जनपद हरदोई की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

श्री बेचई सरोज, सदस्य, विधान सभा की जनपद आजमगढ़ की विधान सभा क्षेत्र लालगंज के अन्तर्गत ग्राम सभा छत्तरपुर में श्री राममूरत गौड़ के खेत के बगल में माइनर पर पुलिया का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राममूरत गौड़ व अन्य निवासीगण जनपद आजमगढ़ की याचिका उपस्थित की हुयी मानी गयी।

श्रीमती पूजा, सदस्य, विधान सभा की अनुपस्थिति में जनपद आजमगढ़ के विकास खण्ड मेहनगर की ग्राम सभा हटवा के प्राथमिक विद्यालय की चहारदीवारी का निर्माण कराये

जाने के सम्बन्ध में श्री मनोज यादव व अन्य निवासीगण जनपद आजमगढ़ की याचिका व्यपगत हुई।

श्री संदीप सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद प्रयागराज के विधान सभा क्षेत्र मेजा के ग्राम बिगहनी में सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री विनोद सिंह व अन्य निवासीगण जनपद प्रयागराज की याचिका उपस्थित की हुयी मानी गयी।

श्री अशरफ अली खान, सदस्य, विधान सभा की जनपद शामली की विधान सभा क्षेत्र धानाभवन के ग्राम मुटेट खादर काठे के पुल से रामू की द्यूबवेल तक कच्चे मार्ग पर इंटरलॉकिंग सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री हरेन्द्र सिंह व अन्य निवासीगण जनपद शामली की याचिका उपस्थित की हुयी मानी गयी।

श्री अनिल कुमार, सदस्य, विधान सभा की अनुपस्थिति में जनपद मुजफ्फरनगर के विधान सभा क्षेत्र पुरकाजी के ग्राम मौंडला में एक जूनियर हाई स्कूल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सुनील कुमार व अन्य निवासीगण जनपद मुजफ्फरनगर की याचिका व्यपगत हुई।

श्री शशांक त्रिवेदी, सदस्य, विधान सभा की अनुपस्थिति में जनपद सीतापुर के विधान सभा क्षेत्र महोली के अन्तर्गत सहादत नगर से जगना तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री रामेन्द्र शुक्ला व अन्य निवासीगण जनपद सीतापुर की याचिका व्यपगत हुई।

श्री सौरभ सिंह 'सोनू', सदस्य, विधान सभा की अनुपस्थिति में जनपद खीरी के विधान सभा क्षेत्र कस्ता में औरंगाबाद जोकि एन0एच0-730-ए एवं एन0एच0-24 के निकट स्थित है, को विकास खण्ड बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री सर्वेश सिंह व अन्य निवासीगण जनपद खीरी की याचिका व्यपगत हुई।

श्री रामपाल वर्मा, सदस्य, विधान सभा की जनपद हरदोई के तहसील सण्डीला के ग्राम कछौना देहात में भू-माफियाओं द्वारा कब्जा किये गए भूमि को कब्जामुक्त कराये जाने के सम्बन्ध में श्री ब्रह्म कुमार सिंह व अन्य निवासीगण जनपद हरदोई की याचिका उपस्थित की हुयी मानी गयी।

डॉ० पल्लवी पटेल, सदस्य, विधान सभा की जनपद कौशाम्बी के विकास खण्ड सिराथू के पास से होकर जाने वाली सड़क ससुर खदेरी नदी क्रास करते हुए एन0एच0-19 तक रोड बनवाये जाने के सम्बन्ध में श्री मौ० सैफ व अन्य निवासीगण जनपद कौशाम्बी की याचिका उपस्थित की हुयी मानी गयी।

श्री ज्ञानेन्द्र सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद महाराजगंज के अन्तर्गत पकड़ी-खुटहा, पनियरा-बेलटिकरा मार्ग का लेपन कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री नारद सिंह व अन्य निवासीगण जनपद महाराजगंज की याचिका उपस्थित की हुयी मानी गयी।

श्री प्रभु नारायण सिंह यादव, सदस्य, विधान सभा की जनपद चन्दौली के विधान सभा क्षेत्र सकलडीहा के ग्राम कैलावर में स्थित अमृत सरोवर कैलावर में सीढ़ी का निर्माण कार्य

कराये जाने के सम्बन्ध में श्री जय सिंह, निवासी जनपद चन्दौली की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री विश्वम्भर सिंह यादव, सदस्य, विधान सभा की जनपद बांदा के ब्लाक कमासिन में अन्दौरा सम्पर्क मार्ग नहर पुल से जमरेही नाथ तक सड़क का नव निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री विनय यादव व अन्य निवासीगण जनपद बांदा की याचिका उपस्थित की हुयी मानी गयी।

श्री गुलाम मौहम्मद, सदस्य, विधान सभा की जनपद मेरठ के वि०ख०० जानी के ग्राम नगला कुम्भा में जब्बार पुत्र वकील के मकान से इरशाद पुत्र बरकत अली के मकान तक नाली व सी०सी० का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री तैय्यब अली व अन्य निवासीगण जनपद मेरठ की याचिका उपस्थित की हुयी मानी गयी।

श्रीमती सरोज कुरील, सदस्य, विधान सभा की जनपद कानपुर नगर के विधान सभा क्षेत्र घाटमपुर के ग्राम परास में स्थित आयुर्वेदिक सरकारी अस्पताल की बाउंड्री एवं गेट तथा छत की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में श्रीमती अंजली तिवारी व अन्य निवासीगण जनपद कानपुर नगर की याचिका उपस्थित की हुयी मानी गयी।

श्री पंकज कुमार मलिक, सदस्य, विधान सभा की जनपद मुजफ्फरनगर के हरसौली सम्पर्क मार्ग के किलोमीटर 1 में लघु सेतु का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री जियाउल व अन्य निवासीगण जनपद मुजफ्फरनगर की याचिका उपस्थित की हुयी मानी गयी।

श्री अभय सिंह, सदस्य, विधान सभा की नवनियुक्त मुख्य अग्निशमन अधिकारियों को आवश्यक आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अजय कुमार, निवासी जनपद अयोध्या की याचिका उपस्थित की हुयी मानी गयी।

श्री बाबूराम, सदस्य, विधान सभा की जनपद पीलीभीत के विकास खण्ड पूरनपुर में नवदिया-धनेश से रम्पुरा-फकीरे तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री हरप्रसाद व अन्य निवासीगण जनपद पीलीभीत की याचिका उपस्थित की हुयी मानी गयी।

श्री अखिलेश, मा० सदस्य, विधान सभा की जनपद आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र मुबारकपुर के ग्राम बम्हौरा से हाजीपुर सम्पर्क मार्ग लगभग 1 किमी० का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री इन्द्रजीत व अन्य निवासीगण जनपद आजमगढ़ की याचिका उपस्थित की हुयी मानी गयी।

श्री राजेन्द्र कुमार, सदस्य, विधान सभा की जनपद मऊ के विधान सभा क्षेत्र मुहम्मदाबाद गोहना में स्थित चिरैयाकोट-आजमगढ़ बाईपास का पुनर्निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री रामप्रताप यादव व अन्य निवासीगण जनपद मऊ की याचिका उपस्थित की हुयी मानी गयी।

श्री राजमणि, सदस्य, विधान सभा की जनपद प्रयागराज के विकास खण्ड कोडांव के बड़ोखर से चिराव मार्ग पर पुलिया का निर्माण तथा सड़क मार्ग का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री कमलेश आदिवासी व अन्य निवासीगण जनपद प्रयागराज की याचिका उपस्थित की हुयी मानी गयी।

श्रीमती सरिता भदौरिया, सदस्य, विधान सभा की जनपद इटावा के विधान सभा क्षेत्र इटावा सदर के अन्तर्गत पार-पट्टी क्षेत्र स्थित विकास खण्ड बढ़पुरा में 132 केवीए पावर हाउस की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में श्री गणेश भदौरिया व अन्य निवासीगण जनपद इटावा की याचिका उपस्थित की हुयी मानी गयी।

श्री स्वामी ओउमवेश, सदस्य, विधान सभा की जनपद बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र-23, चाँदपुर के अन्तर्गत विकास खण्ड हल्दौर के ग्राम गावड़ी से ग्राम पिलाना तक मार्ग का डामरीकरण का कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री चौधरी कैलाश सिंह व अन्य निवासीगण जनपद बिजनौर की याचिका उपस्थित की हुयी मानी गयी।

श्री अरमान खान, सदस्य, विधान सभा की अनुपस्थिति में जनपद लखनऊ के विधान सभा क्षेत्र लखनऊ पश्चिम के अन्तर्गत पारा में हंसखेड़ा ग्राम के मोड़ से हंसखेड़ा तिराहे तक सीवर नाला व सीवर पाइप लाइन का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सर्वेश यादव व अन्य निवासीगण जनपद लखनऊ की याचिका व्यपगत हुई।

श्री संग्राम सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र फेफना के विशेसरपुर से इकौनी-दुलारपुर मार्ग तक सड़क का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सविन्दर यादव व अन्य निवासीगण जनपद बलिया की याचिका उपस्थित की हुयी मानी गयी।

श्री राम अचल राजभर, सदस्य, विधान सभा की जनपद अम्बेडकरनगर के विकास खण्ड अकबरपुर के अन्तर्गत ग्राम सभा दरगाहशाह रमजान, आलमपुर अखई एवं अमरतल के मध्य एक नये सरकारी नलकूप की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में श्री हीरालाल राजभर व अन्य निवासीगण जनपद अम्बेडकरनगर की याचिका उपस्थित की हुयी मानी गयी।

श्री राजेन्द्र सिंह पटेल, सदस्य, विधान सभा की जनपद फतेहपुर के विकास खण्ड मलवा के ग्राम शिवराजपुर मार्ग से कृष्णपुर बम अखाड़ा हनुमान मन्दिर तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अरुण शुक्ला व अन्य निवासीगण जनपद फतेहपुर की याचिका उपस्थित की हुयी मानी गयी।

श्री निर्मल वर्मा, सदस्य, विधान सभा की जनपद सीतापुर के विधान सभा क्षेत्र बिसवां में विकास खण्ड कसमण्डा के अन्तर्गत बेहड़ा-बैकुण्डपुर मार्ग पर हो रहे गुणवत्ता विहीन सी०सी० निर्माण कार्य की जाँच कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अरविन्द तिवारी व अन्य निवासीगण जनपद सीतापुर की याचिका उपस्थित की हुयी मानी गयी।

श्री मुकेश चौधरी, सदस्य, विधान सभा की जनपद सहारनपुर के ब्लाक सरसावा के ग्राम छापुर में एन0एच0-73 से भीकनपुर मार्ग के किमी0-3 में 3/33/0 बाक्स कलवर्ट/पुलिया का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री रविन्द्र व अन्य निवासीगण जनपद सहारनपुर की याचिका उपस्थित की हुयी मानी गयी।

श्री समरपाल सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद अमरोहा के विधान सभा क्षेत्र नौगांव के ग्राम नेवादा में हिकमत अली के भट्ठे से दिल्ली हाई-वे तक पक्की सड़क (1.25 किमी0) का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री हिकमत अली व अन्य निवासीगण जनपद अमरोहा की याचिका उपस्थित की हुयी मानी गयी।

श्रीमती कृष्णा पासवान, सदस्य, विधान सभा की जनपद फतेहपुर के वि0स0 क्षेत्र-243, खागा के अन्तर्गत धाता हिनौता मार्ग से परीसछपुर होकर एरई तक जर्जर मार्ग का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री ब्रिजेश सिंह व अन्य निवासीगण जनपद फतेहपुर की याचिका उपस्थित की हुयी मानी गयी।

श्री पूरन प्रकाश, सदस्य, विधान सभा की अनुपस्थिति में लखनऊ शहर के मोहल्ला गीतापल्ली, आलमबाग के गीतापल्ली मजार तिराहे के सामने कृष्णपल्ली की ओर जाने वाली सड़क पर (शेल्टर होम के बगल से) घरों के सामने लगी अवैध दुकानों को हटवाये जाने के सम्बन्ध में श्री एस0पी0 श्रीवास्तव व अन्य निवासीगण जनपद लखनऊ की याचिका व्यपगत हुई।

डा० मंजू शिवाच, सदस्य, विधान सभा की जनपद गाजियाबाद के मोदीनगर के ब्लाक भोजपुर अन्तर्गत एक ग्रामीण स्टेडियम के निर्माण के सम्बन्ध में श्री नीरज संगवान व अन्य निवासीगण जनपद गाजियाबाद की याचिका उपस्थित की हुयी मानी गयी।

श्री विवेक कुमार वर्मा, सदस्य, विधान सभा की जनपद पीलीभीत के बीसलपुर अन्तर्गत राजकीय महाविद्यालय में ऑडिटोरियम की स्थापना के सम्बन्ध में श्री ब्रिजेश कुमार व अन्य निवासीगण जनपद पीलीभीत की याचिका उपस्थित की हुयी मानी गयी।

श्री रवेन्द्रपाल सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद अलीगढ़ के अन्तर्गत विकास खण्ड गंगीरी के ग्राम गंगीरी क्षेत्र में राजकीय कन्या महाविद्यालय बनवाने के सम्बन्ध में डा० हरिश्चन्द्र कुशवाह व अन्य निवासीगण जनपद अलीगढ़ की याचिका उपस्थित की हुयी मानी गयी।

श्री विपुल दुबे, सदस्य, विधान सभा की जनपद भदोही के विधान सभा क्षेत्र ज्ञानपुर ब्लाक, जिला पंचायत मार्ग बीरमपुर रोही मार्ग से कान्तीरामपुर तक लेपन कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री प्रशांत मिश्रा व अन्य निवासीगण जनपद भदोही की याचिका उपस्थित की हुयी मानी गयी।

श्री चन्द्र प्रकाश लोधी (एडवोकेट), सदस्य, विधान सभा की जनपद फतेहपुर के ग्राम पंथुवा से सराय अभैया तक जाने वाली अत्यन्त जर्जर रोड जिसकी लम्बाई लगभग 1200 मी० है, के निर्माण के सम्बन्ध में श्री सियाराम व अन्य निवासीगण जनपद फतेहपुर की याचिका उपस्थित की हुयी मानी गयी।

श्री मोहम्मद हसन 'रुमी', सदस्य, विधान सभा की जनपद कानपुर नगर के विधान सभा क्षेत्र-216 के जोन नं०-03 के अन्तर्गत आने वाले वार्ड सं०-102, 105, 36, 80 आदि में लगभग 70 साल पुरानी सीवर लाइनों को नये सिरे से निर्माण कराए जाने के सम्बन्ध में श्री रोशन व अन्य निवासीगण जनपद कानपुर नगर की याचिका उपस्थित की हुयी मानी गयी।

श्री हाकिम लाल बिन्द, सदस्य, विधान सभा की जनपद प्रयागराज के विधान सभा क्षेत्र हण्डिया के विं०ख० हण्डिया के अन्तर्गत ग्राम सभा तारागांव सरकारी नलकूप के पास से होते हुए तारागांव नये पुरा यादव बस्ती होते हुए हण्डिया लाक्षागृह सम्पर्क मार्ग जर्जर/क्षातिग्रस्त का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राजेश कुमार व अन्य निवासीगण जनपद प्रयागराज की याचिका उपस्थित की हुयी मानी गयी।

श्री भगवान सिंह कुशवाहा, सदस्य, विधान सभा की अनुपस्थिति में जनपद आगरा के कस्बा खेरागढ़ में रोडवेज बस स्टैण्ड का निर्माण कराने के सम्बन्ध में श्री मनीष शर्मा व अन्य निवासीगण जनपद आगरा की याचिका व्यपगत हुई।

डा० आर० के० पटेल, सदस्य, विधान सभा की जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र मड़ियाहूं के अन्तर्गत नगर पंचायत मड़ियाहूं के आस-पास सरकारी सब्जी मण्डी व फूल मण्डी बनवाने के सम्बन्ध में श्री रामधनी पटेल व अन्य निवासीगण जनपद जौनपुर की याचिका उपस्थित की हुयी मानी गयी।

श्री जीत लाल पटेल, सदस्य, विधान सभा की जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र विश्वनाथगंज के भटपुरवा गांव में जाने के लिए बकुलाही नदी पर पुल निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राजकुमार पटेल व अन्य निवासीगण जनपद प्रतापगढ़ की याचिका उपस्थित की हुयी मानी गयी।

श्री राजीव तरारा, सदस्य, विधान सभा की जनपद अमरोहा के ब्लाक धनौरा में राजकीय महाविद्यालय की स्थापना के सम्बन्ध में श्री चीनू सागर व अन्य निवासीगण जनपद अमरोहा की याचिका उपस्थित की हुयी मानी गयी।

श्री जवाहर लाल राजपूत, सदस्य, विधान सभा की जनपद झांसी के ग्राम बेलमा/बसोवई, बकवांबुजुर्ग, बड़वार के किसानों के कम विजली आपूर्ति की समस्या को दूर करने के लिये 33/11 केवी के सब-स्टेशन बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री के०पी० बुन्देला व अन्य निवासीगण जनपद झांसी की याचिका उपस्थित की हुयी मानी गयी।

श्री मौहम्मद फहीम इरफान, सदस्य, विधान सभा की अनुपस्थिति में जनपद मुरादाबाद की तहसील बिलारी के अन्तर्गत कतिपय ग्रामों में फसल नष्ट कर रहे बेसहारा गोवंशीय पशुओं को गैशाला में संरक्षित कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अमरपाल यादव, निवासी जनपद मुरादाबाद की याचिका व्यपगत हुई।

श्री चन्द्रपाल सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद बुलन्दशहर की विधान सभा क्षेत्र डिवाई के ब्लाक दानपुर के अन्तर्गत ग्राम कुसहा फतेहाबाद गेट से शिव मन्दिर तक मार्ग आर०सी०सी० द्वारा नवनिर्मित कराये जाने के सम्बन्ध में श्री रामगोपाल सिंह व अन्य निवासीगण जनपद बुलन्दशहर की याचिका उपस्थित की हुयी मानी गयी।

श्री श्याम सुन्दर, सदस्य, विधान सभा की जनपद रायबरेली के अन्तर्गत तहसील महराजगंज में सरकारी बस स्टैंड का निर्माण करवाए जाने एवं तहसील से अन्य जनपदों हेतु बसें संचालित कराये जाने के सम्बन्ध में श्री फिरोज अहमद, निवासी जनपद रायबरेली की याचिका उपस्थित की हुयी मानी गयी।

श्री रामअवतार सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र 24, नूरपुर के अन्तर्गत ग्राम असरा खेड़ा से अनीसा नंगली मार्ग लम्बाई 2.00 किमी० की विशेष मरम्मत व अबादी भाग में सी०सी० रोड व नाली निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री आलमगीर व अन्य निवासीगण जनपद बिजनौर की याचिका उपस्थित की हुयी मानी गयी।

श्री विनोद शंकर अवस्थी, सदस्य, विधान सभा की जनपद लखीमपुर के अन्तर्गत ब्लाक ईसानगर में ग्राम में गनेशपुर कुरताहिया से खैरी गांव तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री कृष्णा पोरवाल व अन्य निवासीगण जनपद लखीमपुर खीरी की याचिका उपस्थित की हुयी मानी गयी।

श्री देवेन्द्र कुमार निम, सदस्य, विधान सभा की जनपद सहारनपुर के ब्लॉक-रामपुर मनिहारन के ग्राम कुराली में हिंडन नदी पर रपटा/काज-वे का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री ओमवीर व अन्य निवासीगण जनपद सहारनपुर की याचिका उपस्थित की हुयी मानी गयी।

श्री देवेन्द्र सिंह लोधी, सदस्य, विधान सभा की जनपद बुलन्दशहर के विधान सभा क्षेत्र स्याना के गांव सठला मेन चौराहे से पेठ मैदान तक लम्बाई 600 मीटर चौड़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री तरुण प्रधान व अन्य निवासीगण जनपद बुलन्दशहर की याचिका उपस्थित की हुयी मानी गयी।

श्री ओम प्रकाश, सदस्य, विधान सभा की अनुपस्थिति में जनपद गाजीपुर के विधान सभा क्षेत्र-379, जमानियां में जिला मुख्यालय गाजीपुर जाने वाले मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री गुदरी यादव व अन्य निवासीगण जनपद गाजीपुर की याचिका व्यपगत हुई।

श्री गौरीशंकर वर्मा (कोरी), सदस्य, विधान सभा की जनपद जालौन के विधान सभा क्षेत्र उरई नगर के विकास खण्ड जालौन के ग्राम शाहजादपुरा में छीटी नदी मंगला नाला गडरिया घाट पर रपटा/पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सुधीर डागर व अन्य निवासीगण जनपद जालौन की याचिका उपस्थित की हुयी मानी गयी।

ईंजी० बृजेश कठेरिया, सदस्य, विधान सभा की जनपद मैनपुरी के विधान सभा क्षेत्र किशनी में पम्पनेर से धउआ तक व इटावा-बेवर मार्ग पर शिवालय से नगला रमई होकर नगला गढू तक के मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सर्वेश यादव व अन्य निवासीगण जनपद मैनपुरी की याचिका उपस्थित की हुयी मानी गयी।

श्री राजीव कुमार सिंह उर्फ बबू भैया, सदस्य, विधान सभा की जनपद बदायूँ के विधान सभा क्षेत्र दातागंज की नगर पंचायत उसेह में राजकीय इण्टर कालेज की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में श्री रामप्रकाश गुप्ता व अन्य निवासीगण जनपद बदायूँ की याचिका उपस्थित की हुयी मानी गयी।

श्री राजेन्द्र प्रसाद चौधरी, सदस्य, विधान सभा की जनपद बस्ती की तहसील रुधीली के डुमरी-मझौवा कला-२ का छूटी हुई कड़ी का अवशेष भाग का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मनोज चौधरी, निवासी जनपद बस्ती की याचिका उपस्थित की हुयी मानी गयी।

श्री राजेश चौधरी, सदस्य, विधान सभा की जनपद मथुरा की तहसील मॉट के ग्राम बाघरा में श्री हरीशंकर शर्मा की पैतृक भूमि पर बने अवैध रूप से महाविद्यालय की मान्यता रद्द करने व आवश्यक कार्रवाई करने के सम्बन्ध में श्री कृष्ण गोपाल शर्मा व अन्य निवासीगण जनपद मथुरा की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

डॉ० शलभ मणि त्रिपाठी, सदस्य, विधान सभा की जनपद देवरिया की विधान सभा क्षेत्र-३३७-देवरिया, सदर के दीनानाथ महिला पी०जी० कॉलेज में पुस्तकालय एवं वाचनालय का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्रीमती निर्मला गैतम व अन्य निवासीगण जनपद देवरिया की याचिका उपस्थित की हुयी मानी गयी।

श्री अनिल सिंह, सदस्य, विधान सभा की अनुपस्थिति में जनपद उन्नाव के विधान सभा क्षेत्र पुरवा, उन्नाव के ग्राम बिसारा व कतिपय ग्रामों में आँगनबाणी केन्द्र की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में श्री बृजेश शुक्ला व अन्य निवासीगण जनपद उन्नाव की याचिका व्यपगत हुई।

श्री मनोज कुमार पारस, सदस्य, विधान सभा की जनपद बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र नगीना के कस्बा नगीना में बन्द पड़ी सहकारी कताई मिल में खाली पड़ी भूमि पर स्टेडियम का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री रुहूल इस्लाम व अन्य निवासीगण जनपद बिजनौर की याचिका उपस्थित की हुयी मानी गयी।

श्री जयद्रथ उर्फ प्रवक्तानंद, सदस्य, विधान सभा की जनपद पीलीभीत के विधान सभा क्षेत्र-128, बरखेड़ा में बीसलपुर रोड से ग्राम पौटा गोटिया तक 300 मी० लम्बे मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री लालता प्रसाद व अन्य निवासीगण जनपद पीलीभीत की याचिका उपस्थित की हुयी मानी गयी ।

श्री कविन्द्र चौधरी, सदस्य, विधान सभा की जनपद बस्ती के विधान सभा क्षेत्र कप्तानगंज में बेदीपुर चौराहे से बेदीपुर गाँव तक सड़क मार्ग (1.00 किमी०) का मरम्मत कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री पवन वर्मा व अन्य निवासीगण जनपद बस्ती की याचिका उपस्थित की हुयी मानी गयी ।

डॉ० एम०पी० आर्य, सदस्य, विधान सभा की जनपद बरेली के विकास खण्ड नवाबगंज के ग्राम इनायतपुर से होते हुए ग्राम भोलापुर लावाखेड़ा शाही स्टेशन मार्ग तक सड़क निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री टंडन बाबू व अन्य निवासीगण जनपद बरेली की याचिका उपस्थित की हुयी मानी गयी ।

श्री गणेश चन्द्र, मा० सदस्य, विधान सभा की जनपद सन्तकबीरनगर के विधान सभा क्षेत्र घनघटा में ग्राम नाथनगर के जर्जर चिकित्सालय भवन का नव निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री शुभम व अन्य निवासीगण जनपद सन्तकबीरनगर की याचिका उपस्थित की हुयी मानी गयी ।

श्रीमती ऊषा मौर्या, सदस्य, विधान सभा की जनपद फतेहपुर के मुगल रोड से इजुरा पी०डब्ल्य०डी० मार्ग से आगे संकठन गंगा धाट मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री महेश प्रताप पाण्डेय व अन्य निवासीगण जनपद फतेहपुर की याचिका उपस्थित की हुयी मानी गयी ।

श्री विजयपाल आढ़ती, सदस्य, विधान सभा की अनुपस्थिति में जनपद हापुड़ के विधान सभा क्षेत्र सदर हापुड़ के ग्राम धनौरा में दिनेश त्यागी के खेत से चंपत त्यागी के खेत तक लगभग 500 मी० सड़क मार्ग का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री दिनेश, निवासी जनपद हापुड़ की याचिका व्यपगत हुई ।

श्री हरेन्द्र सिंह तेवतिया, सदस्य, विधान सभा की अनुपस्थिति में जनपद हापुड़ के विधान सभा क्षेत्र गढ़मुक्तेश्वर के ग्राम रामपुर न्यामतपुर में प्राथमिक विद्यालय से सिद्ध बाबा तक सड़क मार्ग का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री हरवेन्द्र सिंह व अन्य निवासीगण जनपद हापुड़ की याचिका व्यपगत हुई ।

श्री राम फेरन पाण्डेय, सदस्य, विधान सभा की जनपद श्रावस्ती के अन्तर्गत कटरा व गिलौला को नगर पंचायत बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री मनोज कुमार व अन्य निवासीगण जनपद श्रावस्ती की याचिका उपस्थित की हुयी मानी गयी ।

जनपद आगरा के विधान सभा क्षेत्र फतेहपुर सीकरी के ग्राम खेड़ाजट से नगला देविया तक सड़क निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री बाबूलाल द्वारा दिनांक 07 फरवरी, 2024 को दी गई सूचना पर, नियम-51 के अन्तर्गत लोक निर्माण मंत्री का वक्तव्य उन्होंने दिया, जो पढ़ा हुआ माना गया। मा० सदस्य ने प्रश्न पूछकर स्पष्टीकरण प्राप्त किया।

पंडित जवाहर लाल नेहरू स्मारक इण्टर कॉलेज, अयोध्या में हुयी अनियमित नियुक्ति की जाँच कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अभ्य सिंह द्वारा दिनांक 07 फरवरी, 2024 को दी गई सूचना पर, नियम-51 के अन्तर्गत माध्यमिक शिक्षा मंत्री का वक्तव्य उन्होंने दिया, जो पढ़ा हुआ माना गया। मा० सदस्य ने प्रश्न पूछकर स्पष्टीकरण प्राप्त किया।

फिरोजाबाद के बस स्टैण्ड का जीर्णोद्धार कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मनीष असीजा द्वारा दिनांक 07 फरवरी, 2024 को दी गई सूचना पर, नियम-51 के अन्तर्गत परिवहन मंत्री का वक्तव्य संसदीय कार्य राज्य मंत्री ने दिया, जो पढ़ा हुआ माना गया।

विधान सभा क्षेत्र ऊँचाहार में आधुनिक बस स्टैण्ड स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में श्री मनोज कुमार पाण्डेय द्वारा दिनांक 07 फरवरी, 2024 को दी गई सूचना पर, नियम-51 के अन्तर्गत परिवहन मंत्री का वक्तव्य संसदीय कार्य राज्य मंत्री ने दिया, जो पढ़ा हुआ माना गया। मा० सदस्य ने प्रश्न पूछकर स्पष्टीकरण प्राप्त किया।

जनपद अमेठी के विकास खण्ड जामों के ग्राम पंचायत सूखी बाजगढ़ के वित्तीय वर्ष 2010 से वर्तमान तक के अनियमित कार्यों की विशेष जाँच दल गठित करके कार्यवाही के सम्बन्ध में श्री राकेश प्रताप सिंह द्वारा दिनांक 07 फरवरी, 2024 को दी गई सूचना पर, नियम-51 के अन्तर्गत ग्राम्य विकास मंत्री का वक्तव्य संसदीय कार्य राज्य मंत्री ने दिया, जो पढ़ा हुआ माना गया। मा० सदस्य ने प्रश्न पूछकर स्पष्टीकरण प्राप्त किया।

राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सालयों में डॉक्टरों की तैनाती के सम्बन्ध में डा० रागिनी द्वारा दिनांक 07 फरवरी, 2024 को दी गई सूचना पर, नियम-51 के अन्तर्गत आयुष राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) का वक्तव्य उन्होंने दिया, जो पढ़ा हुआ माना गया।

विधान सभा क्षेत्र-221, उरई जनपद जालौन के ग्राम रिनिया बड़ा गांव एवं मडौरा होते हुये उरई, जालौन मार्ग तक एक बाईपास का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री गौरीशंकर वर्मा द्वारा दिनांक 07 फरवरी, 2024 को दी गई सूचना पर, नियम-51 के अन्तर्गत लोक निर्माण मंत्री का केवल वक्तव्य संसदीय कार्य राज्य मंत्री ने दिया, जो पढ़ा हुआ माना गया।

विधान सभा क्षेत्र सरोजनीनगर, लखनऊ के अन्तर्गत विकास खण्ड सरोजनीनगर के प्राथमिक विद्यालय/उच्च प्राथमिक विद्यालय एवं कम्पोजिट विद्यालयों की बाउण्ड्रीवाल बनाये जाने के सम्बन्ध में डा० राजेश्वर सिंह द्वारा दिनांक 07 फरवरी, 2024 को दी गई सूचना पर,

नियम-51 के अन्तर्गत वेसिक शिक्षा मंत्री का केवल वक्तव्य। संसदीय कार्य राज्य मंत्री ने दिया, जो पढ़ा हुआ माना गया।

ग्राम पंचायत मंगापुर, विकास खण्ड सांगीपुर, तहसील लालगंज, जनपद प्रतापगढ़ में मिनी स्टेडियम का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्रीमती आराधना मिश्रा 'मोना' द्वारा दिनांक 07 फरवरी, 2024 को दी गई सूचना पर, नियम-51 के अन्तर्गत खेल एवं युवा कल्याण मंत्री का केवल वक्तव्य संसदीय कार्य राज्य मंत्री ने दिया, जो पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद सहारनपुर के विधान सभा क्षेत्र रामपुर मनिहारन के कतिपय प्लाटिंग की जाँच कराये जाने के सम्बन्ध में श्री देवेन्द्र निम द्वारा दिनांक 07 फरवरी, 2024 को दी गई सूचना पर, नियम-51 के अन्तर्गत मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य संसदीय कार्य राज्य मंत्री ने दिया, जो पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद कुशीनगर के खड़ा विधान सभा क्षेत्र में नवनिर्मित पानी के टंकियों के निर्माण की जाँच कराये जाने के सम्बन्ध में श्री विवेकानन्द पाण्डेय द्वारा दिनांक 07 फरवरी, 2024 को दी गई सूचना पर, नियम-51 के अन्तर्गत जल शक्ति मंत्री का केवल वक्तव्य संसदीय कार्य राज्य मंत्री ने दिया, जो पढ़ा हुआ माना गया।

तदुपरान्त सदन का उपवेशन सायं 08 बज कर 26 मिनट पर अगले दिन के पूर्वाह्न 10:00 बजे तक के लिए स्थगित हुआ।

प्रदीप कुमार दुबे,

प्रमुख सचिव,

विधान सभा, उत्तर प्रदेश।

**स्वीकृत,
सतीश महाना,**

अध्यक्ष,

विधान सभा, उत्तर प्रदेश।